ISSN:0975-4431
RNI:MPHIN/2009/29572

नवीन सामाजिक शोध

नवीन सामाजिक शोध

अंर्तराष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

NAVEEN SAMAJIK SHODH

International Monthly Research Journal

वर्ष-8 अंक-8 (कुल अंक-92) अक्टूबर 2016

मूल्य - 100 रूपये

International Research Journal
Research Journal Useful for
Social Development

नवीन सामाजिक शोध

मासिक शोध पत्रिका

अध्ययन एवं अनुसंधान पर
आधारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में
उत्कृष्ट कार्य करने पर
ISSN:0975-4431 प्राप्त हुआ

हम सभी क्षेत्रों विषयों पर वैज्ञानिकों प्रोफेसरों और शोधार्थीयों द्वारा तैयार शोध पत्रों का प्रकाशन करते हैं

शोधार्थीयों द्वारा अपना रिसर्च वर्क प्रारम्भ करने से पूर्व पांच शोध पत्रों के प्रकाशन की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए हिन्दी इंगलिश भाषाओं में शोध पत्रों का प्रकाशन करते हैं

सामान्यतः विज्ञान विषयों के शोध पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होते हैं किन्तु हम विज्ञान विषय के शोध पत्र भी हिन्दी भाषा में प्रकाशित करते हैं। जिससे हमारे मध्यप्रदेश के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर पाते हैं।

अतः हमारी पत्रिका में केवल उच्च गुणवत्ता प्राप्त अनुसंधानिक/शोध पत्र ही प्रकाशित किये जाते है।

प्रकाशक

अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

नवीन सामाजिक शोध

वर्ष-8 अंक-8 (कुल अंक 92) अक्टूबर 2016
R.N.I. M.P.HIN/2009/29572 ISSN-0975-4431
संपादकीय कार्यालय : 25, रूपनगर कालोनी, जे.के. रोड,
भोपाल-462041 (म.प्र.) दूरभाष : 09300279796, 09425704990
Email : naveensamajikshodh@yahoo.com
Website : www.naveensamajikshodh.com

संस्थापक प्रधान सम्पादक
स्व.डॉ.जी.सी. सक्सेना

❖

प्रधान सम्पादक
राजेन्द्र सक्सेना

❖

प्रबंध संपादक
अभिजीत सक्सेना

❖

संपादक
श्रीमती सविता सक्सेना

❖

उपसंपादक
डॉ.संजय अग्रवाल(चिकित्सक)
डॉ. संतोष धुर्वे (समाजशास्त्री)
डॉ. विजय दुबे (वाणिज्य)ग्वा.

❖

वरिष्ठ शोध अधिकारी
डॉ. कुसुमा भारद्वाज

❖

शोध अधिकारी
डॉ. ममता दुबे ग्वालियर
श्रीमती रितु मेहरा

❖

ग्राफिक्स
तनवीर कुरेशी

❖

सलाहकार संपादक
राजेश सक्सेना

विदेशों में क्षेत्रीय कार्यालय : (विदेशी विषय विशेषज्ञ संपादक)

1. डॉ. राम भारद्वाज चिकित्सक
पो.बॉ. नं. 361, पोस्टल कोड नं. 319, सहम सुलतानेट ऑफ ओमान

2. प्रो. डॉ. सुधाकर कोटा (अर्थशास्त्री)
प्रोफेसर इकोनोमिक्स एण्ड मार्केटिंग, स्काईलाईन, युनिवर्सिटी शारजाह यूएई

3. कविता शुक्ला असिस्टेंट प्रोफेसर,
111, शेख रसीद बिल्डिंग, शेख जायद रोड, यू.ए.ई. दुबई

4. डॉ. प्रिन्स डेविड दंत चिकित्सक
11, अेलब्रेस्ट एवेन्यू, माउंट रास्किल, ओकलैण्ड 1041, न्यूजीलैण्ड

5. श्री सजग चतुर्वेदी,
स्टेनफोर्ड, यूनिवर्सिटी थाईलैण्ड

6. श्रीमती ऋति चतुर्वेदी, कनाडा

7. श्रीमती प्रतिभा, कनाडा

8. डॉ. उमेश रस्तोगी, लंदन

सहयोग राशि : देश में : साधारण अंक 100/-वार्षिक : 1000/-
आजीवन सदस्यता: 10000/
विदेशों में : साधारण अंक : 18 डॉलर, वार्षिक : 180 डॉलर
सारे भुगतान (मनीआर्डर/चैक/ड्रॉफ्ट) नवीन सामाजिक शोध के नाम से किए जावेंगे। चैक से भुगतान करने पर रू.30-अतिरिक्त भेजें।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक-राजेन्द्र सक्सेना द्वारा एम.आई आफसेट वर्क्स, 91, रशीदिया स्कूल के पास, बरखेड़ी, भोपाल-6 द्वारा मुद्रित एवं 25, रूपनगर कालोनी, जे.के. रोड, भोपाल-462023 (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक-श्रीमती सविता सक्सेना

सभी लेखों में लेखकों के अपने मौलिक विचार है। संपादक अथवा संपादक मंडल का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। हमारा संपादक मंडल पूर्णत अवैतनिक एवं अव्यावसायिक है। विवाद की स्थिति में सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

नवीन सामाजिक शोध

इस अंक में

1. खुली अर्थव्यवस्था एक अध्ययन.....डॉ. पापिया चतुर्वेदी - 6
2. आपदा प्रबन्धन–एक अध्ययन..... नीलिमा चटर्जी - 12
3. जल संसाधन एवं प्रबंधन.....नीलिमा चटर्जी - 20
4. पंचायती राज व्यवस्था तथा स्थानीय स्वशासन.....राघवेन्द्र सरकार बोहरे - 25
5. अपशिष्ट से ऊर्जा बनाम् नदियों का संरक्षण.....डॉ. प्रीति आनंद उदयपुरे - 30
6. निराला और नागार्जुन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में क्रान्ति.....डॉ.भावना शर्मा - 35
7. भारतीय समाज में अनुसूचित जाति की.....डॉ. विनोद कुमार अहिरवार - 42
8. अनुसूचित जाति की महिलाओं में वैधानिक.....डॉ. विनोद कुमार अहिरवार - 47
9. Opportunities And Challenges Of Online.....Dr Vijay Dubey - 55
10. Behavioural Science of Effective Management.....Dr. Prince David - 63

सलाहकार मंडल

- **प्रो. डॉ. आई.एस. चौहान,** पूर्व कुलपति, बरकतुल्लाह एवं भोज विश्वविद्यालय, भोपाल–म.प्र.। फोन : 0755–2424777
- **प्रो. डॉ. विनोद पी. सक्सेना,** पूर्व कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर म.प्र.। फोन : 0755–2628055
- **प्रो. डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव,** पूर्व कुलपति, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर–म.प्र.।
- **प्रो. डॉ. राजपाल सिंह,** सदस्य, सलाहकार यूजीसी (उच्च शिक्षा) भारत सरकार। मो. 9425028689
- **डॉ. के. के. तिवारी** शिक्षाविद्, राज्यपाल अधिकृत ई.सी.सदस्य डीएवीवी इंदौर **मो. 9893014415**
- **वरिष्ठ वकील श्री खलीलउल्लाह खान,** पूर्व चेयरमेन, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल–म.प्र.। मो. 9826225266
- **श्री आई.बी. सिंह,** पूर्व निदेशक, ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, चित्रकूट–म.प्र.। मो. 9329138005
- **डॉ. ललित श्रीवास्तव, नेत्र विशेषज्ञ,** अध्यक्ष, मध्यप्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन, भोपाल–म.प्र.। मो. 9827007500

संपादक मंडल

- प्रो. संजय एस. अग्रवाल, विभागाध्यक्ष, पीपुल्स मेडीकल कालेज
- प्रो. अलका डेविड, विभागाध्यक्ष,गृह विज्ञान, शा.सरोजनी नायडू कालेज,
- प्रो. अरविंद चौहान, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल।
- प्रो.आर.शंकर, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र, भारतीदर्शन विश्वविद्यालय, तिरूचरापल्ली–तमिलनाडु (620024)।
- प्रो.परवेज अहमद अब्बासी, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, वी.एन.एस.जी. विश्वविद्यालय सूरत गुजरात,।
- डॉ0 कुमारी चित्रा शर्मा संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय, भोपाल
- प्रो.डॉ. कामिनी जैन, प्राचार्य शास. स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, पिपरिया
- प्रो. आभा चौहान, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, जे.एण्ड के.।
- डॉ. वंदना बक्शी, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग एक्सीलेंस कालेज, कोलार रोड, भोपाल।
- डॉ. दिनेश परमार, अनुवांशिकी विभाग, ब.वि., भोपाल।
- डॉ. सुमंगला पटेरिया, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी विभाग। एक्सीलेंस कालेज, कोलार रोड, भोपाल
- डॉ. आरती श्रीवास्वत, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग शासकीय कॉलेज नसरूल्लागंज।
- डॉ.जितेन्द्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी आफ कामर्स एंड मैनेजमेंट, जी.जी.डी. एस.डी. (पीजी) कालेज, पलवल।
- डॉ. कुसुमा भारद्वाज, स.प्रा.,एक्सीलेंस कालेज, कोलार रोड, भोपाल।
- डॉ. विपिन व्यास, व्याख्याता, लिमनोलॉजी, ब.वि., भोपाल।
- श्री अजय बिसारिया,व्याख्याता, हिंदी विभाग, अं.मु.वि.,अलीगढ़–उ.प्र.।
- डॉ. संदीप कुमार मल्होत्रा, विभागाध्यक्ष गणित शा. संजय गांधी स्मृति स्नाकोत्तर, महाविद्यालय, गंजबासोदा म.प्र.
- डॉ. विश्वनाथ मिश्रा, पूर्व प्राचार्य (समाजशास्त्र) कालीचरन पी.जी. कालेज, लखनऊ
- इंजि. रोहन गुप्ता, एम–2/5, बी.डी.ए. कालोनी, लालघाटी, भोपाल
- डॉ. अमित कुल्हार, जिला पंचायत भोपाल

सम्पादकीय

परिंदों की जान बचाने के लिए बर्ड रेस्क्यू सेंटर बनाने की दिल्ली सरकार की योजना का स्वागत किया जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि सरकार पक्षियों की सुरक्षा को लेकर कितना चिंतित है। सेंटर में पक्षियों का घोंसला भी बनाया जाएगा। इससे पक्षियों को जहां उनके मुताबिक माहौल मिल सकेगा, वहीं उनकी देखरेख भी आसानी से हो सकेगी। सरकार की योजना इन सेंटरों में दिल्ली से गायब हो चुके पक्षियों को भी रखने की है ताकि लोग उनके बारे में जान सकें। दूसरे राज्यों और विदेश में पाए जाने वाले पक्षियों की जानकारी फोटो के जरिये दी जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की यह योजना जल्द मूर्त रूप ले, जिससे दुर्घटनाग्रस्त पक्षियों की जान बच सके। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फिलहाल राजधानी में पक्षियों के इलाज के लिए कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। जो अस्पताल हैं वे एनजीओ के जरिये चलाए जा रहे हैं। बर्ड रेस्क्यू सेंटर बनने से लोग आसानी से पक्षियों को वहां तक इलाज के लिए पहुंचा सकेंगे। 1 दरअसल, दिल्ली सरकार दिल्लीवालों की सेहत को लेकर काफी चिंतित है। इसी को ध्यान में रखकर उसने मोहल्ला क्लीनिकों की स्थापना की है। इसका फायदा भी लोगों को मिल रहा है। जहां पहले छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को पास के सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता था वहीं अब मोहल्ले में ही समुचित इलाज हो रहा है। इससे उत्साहित होकर सरकार ने अब पक्षियों के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने की योजना बनाई है। दिल्ली सरकार को चाहिए कि इन सेंटरों में भी मोहल्ला क्लीनिकों की तर्ज पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो। सरकार को इस योजना के साथ ही पक्षियों के रखरखाव के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि दीपावली के दौरान लोगों की अनदेखी के कारण कई परिंदों की जान चली जाती है। लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि उनकी आतिशबाजी किसी निदरेष की जान भी लेती है। इसके साथ ही दिल्लीवालों को भी परिंदों के लिए पानी आदि छत या बालकनी में रखने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। इससे लुप्त हो रहे पक्षी जहां एक बार फिर राजधानी की ओर रुख कर सकेंगे, वहीं उनके घर के बाहर पक्षियों का कलरव भी सुनाई देगा। दिल्लीवालों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी गलतियों की वजह से ही कभी यहां की पहचान होने वाली गौरैया अब दिखती भी नहीं है। ऐसे में अगर सरकार प्रयास कर रही है तो हम सब को भी इसमें साथ देना चाहिए।

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

खुली अर्थव्यवस्था एक अध्ययन

डॉ. पापिया चतुर्वेदी
सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
मिनीमाता शासकीय महाविद्यालय कोरबा

खुली अर्थव्यवस्था (ओपेन इकनॉमी) अर्थव्यवस्था का एक दर्शन है। खुली अर्थव्यवस्था को अगर उसके शाब्दिक अर्थ से समझें तो इसका मतलब होता है एक ऐसा देश या समाज जहाँ किसी को किसी से भी व्यापार करने की छूट होती है। ऐसा नही कि इस व्यापार पे कोई सरकारी अंकुश या नियंत्रण नही होता। पर सरकार ऐसी नीतियाँ बनाती है जिससे आम लोग उद्योग और अन्य प्रकार के व्यापार आसानी से शुरू कर सकें। ऐसी अर्थव्यवस्था मे व्यापारों को स्वतंत्र रूप से फलने-फूलने दिया जाता है। सरकारी नियंत्रण ऐसे बनाये जातें है जिनमें व्यापारों को किसी भी प्रकार की बेईमानी से तो रोका जाता है पर नियंत्रण को इतना भी कड़ा नही किया जाता है कि ईमान्दार व्यापार मे असुविधा हो। खुली अर्थव्यवस्था न केवल उस समाज य देश के अंदरूनी व्यापार के लिये होती है बल्कि बाहरी व्यापार को भी उसी दृष्टि से देखा जाता है।

भारतीय इतिहास

खुली अर्थव्यवस्था का विचार भारत मे कोई नया नही है। इतिहास को ध्यान से पढ़ने पे पता है कि आदि काल से भारत मे व्यापार के लिये खुली अर्थव्यवस्था की नीति थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मे भारत मे चीन से और यूरोप से व्यापार के बारे में पता चलता है। रेशम मार्ग अंततराष्ट्रीय व्यापार मे भारत के योग्दान का एक उदाहरण है। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के समय मे काष्ट (लकडी) का व्यापार होता था। अकबर से समय में भारत मे व्यापार काफी फलता-फूलता था। अंग्रेज़ भी भारत मे व्यापार करने आये थे। मतलब 1700-1800 मे भी भारत मे विदेशी मूल के व्यापारियों से व्यापार होता था। सम्भवत: ईस्ट इंडिया कम्पनी के व्यापारियों से साशक बनने से भारतीय समाज में व्यापार को ले के एक ऐसी धारणा बन गयी कि बाद मे 1947 मे भारत के आज़ाद होने पे भारत मे खुली अर्थव्यवस्था का सपोर्ट ज्यादा नेताओं ने नही किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पं नेहरू रूसी समाजवाद

से काफी प्रभावित थे। आज़ादी के बाद नेहरू के भारत मे समाजवाद की स्थापना करने का प्रयत्न किया। शायद ये भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मे सबसे बड़ी भूल थी।

स्वतंत्रता के बाद से 1990 तक

1947 से 1990 तक भारत मे खुली अर्थव्यवस्था नही थी। भारत ने आयात और निर्यात पे कयी तरह के कर लगाये जाते थे। निर्यात पे होने वले करों की वजह से भारतीय उद्योग यहा बनाया हुआ माल अंतर-राश्ट्रीय बाज़ार मे सस्ता नही बेंच पाते थे। अंतर-राष्ट्रीय बाज़ार की प्रतिस्पर्धा मे भारतीय उद्योगों के ना टिक पाने से भारत पीछे रह गया। इस दौरान जापान, चीन, कोरिया, ताइवान जैसे देशो ने अंतर-राश्ट्रीय बाज़ार मे अपना दब्दबा बनाया। भारत मे आयात पर भी काफी कर लगाये जाते थे। इस कारण से विदेशी उद्योग भारत मे अपना सामान बेचने मे दिक्कत कस्सूस कर्ते थे। विदेशों बने समान भारत मे बहुत महंगे होने की वजह से भारत मे ज्यादा लोग खरीद नही पाते थे। जो तक्नीक भारत के बाहर जन्म लेती थी वे आसानी से भारत के लोगों तक नही पहुंच पाती थीं। इस्से एक तरफ तो भारत के नागरिक 1947 से 1980 तक कम्प्यूटर, आधुनिक घडियों, आधुनिक टेलीफोन, कारों, इत्यादि से वंचित रह गये तो दूसरी तरफ भारतीय उद्योगों को ज़रूरी तक्नीकें नही मिल पयी। अंतर-राश्ट्रीय तरीको और तक्नीकों से अपने उत्पाद न बना पाने की वजह से भारत के कयी उद्योग जैसे टैक्स्टाइल, कृशि, एवियेशन, मन्युफैक्चरिंग, इत्यादि अंतर-राष्ट्रीय मानकों से पीछे रह गये। भारत का ग्रोथ रेट करीब 3.0% रह गया और इसे विश्व मे हिन्दू ग्रोथ रेट से जाना जाने लगा। भारत के उद्योगों के विकसित ना हो पाने की वजह से भारत के तमाम लोग गरीबी रेखा से नीचे रह गये। इस दौरान भारत के मूल्भूत धांचे (इंफ्रास्ट्रक्छर) का बहुत धीमि गति से विकास हुआ। भारत का बिजली, पानी, सडके, सूच्ना तंत्र इत्याअदि कफी खराब होता चला गया। मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा होने से महंगाई कफी बढ्ती चली गयी पर उद्योगों की बीमार हालत के चलते लोगो की आमदनी मुद्रास्फीति दर के बराबर न बढ सकी।

भारत मे सन 1985 से बैलैंस औफ पेमेंट की सम्सया शुरू हुई। 1991 मे चन्द्रशेखर सरकार के शासन के दौरान भारत मे बैलैंस औफ पेमेंट की समस्या ने विकराल रूप धारण किया और भारत की पहले से चर्मरायी हुई अर्थव्यवस्था घुट्नो पे आ गयी। भारत मे विदेशी मुद्रा का भंडार केवल तीन हफ्ते के आयातो के बराबर रह गया। ये एक बहुत ही गम्भीर समस्या थी। इस दौरान समस्या इत्नी गम्भीर हो चुकी थी कि भारत के पास देश को चलाने के लिये जरूरी धन खतम हो गया था। भारत सरकार ने अपने स्वर्ण भन्डार से सोना बैंक ओफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखने की तैयारियां शुरू कर दी थी। नरसिंहा राव के नेत्रत्व वाली भारतीय सरकार ने भारत मे बडे पैमाने मे आर्थिक सुधार करने का फैसला किया। उदारीकरण कहने वाले इन सुधारो के आर्किटेक्ट थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने आने वाले समय मे भारत की अर्थ्नीति को पूरी तरह से बदल्ने की शुरुआत की। ये वोह समय था जबकि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खुला करने की शुरुआत की। ज्यादातर लोगों के नज़रिये से 1990

से अबक किये गये आर्थिक सुधारों ने ही भारत को दुनिया में एक सशक्त आर्थिक देश का दर्ज़ा दिलाया।

1990 से 1996 तक मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। उस समय नर्सिम्हा राओ भारत के प्रधान मंत्री थे। मनमोहन सिंह का साथ देने वाले कयी कयी और लोग सरकार मे थे। सी. रंगराजन, मौंटैक सिन्ह अहलूवालिया, शंकर आचार्या, वाई. वेणुगोपाल रेड्डी इस्में से प्रमुख थे।

1996 से 1998 तक पी चिदम्ब्रम भारत के वित्त मंत्री हुए और उन्होने मनमोहन सिंह की नीतियो को आगे बढाया। 1998 से 2004 तक देश मे भारतीय जनता पार्टी की सर्कार ने और भी ज्यादा उदारीकरण और निजीकरण किया। इस्के बाद 2004 मे आधुनिक भारत की अर्थ्नीति के रचयिता मनमोहन सिंह भारत के प्रधान्मंत्री बने और पी चिदम्ब्रम वित्त मंत्री।

इन सभी सालो मे भारत ने काफी तेज़ तरक्की की। अर्थव्यवस्था मे आमूल-चूल परिवर्तन हुए और भारत ने विश्व अर्थव्यवस्था मे अपना स्थान बनाना शुरू किया।

खुली अर्थव्यवस्था के लाभ

खुली अर्थव्यवस्था का सबसे बडा फय्दा है आज़ादी। आज़ादी मुक्त रूप से व्यापार करने की, उन्नति करने की, पैसा कमाने की। चूकि खुली अर्थव्यवस्था मूल रूप से उद्योगों और व्यापार को बढावा देती है, तो ऐसे समाज मे नागरिकों को एक ही उत्पाद खरीदने के कई ऑप्शंस होते है। ऐसे मे हर उद्योग पे अपने उत्पादों को और बेह्तर और सस्ता बनाने का एक प्रकृतिक दबाव होता है। इस्से उद्योग नयी से नयी तक्नीक का इस्तेमाल करते है। जिस्से उत्पादों की गुणवत्ता बेह्तर होती है। चूकि ऐसी अर्थव्यवस्था मे उद्योगों को बढावा दिया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा कार्खानें और दफ्तर खुलते है। इस्से लोगों को ज्यादा रोज़गार के साधन मिल्ते है।

बाज़ार मे होने वाली प्रतिस्तपर्धा का सबको फयदा होता है। नये उत्पाद बनते है। पुराने उत्पादों की गुणवत्ता बेह्तर बनती है। लोगों को रोजगार मिलता है। उद्योगों पे कर्म्चारियों की मांग बढ्ने से इस्मे भी प्रतिस्पर्धा पनपती है। और सभी उद्योग अपने कर्म्चरियों को ज्यादा तनख्वाह दे के विरोधी कम्पनी मे जाने से रोकते है। ऐसा होने से लोगो की पर्चेज़िंग पावर बढती है। लोगो के पास ज्यादा पैसा आने से उनका रहन सहन बेह्तर होता है। वे बडे घर मे रह सकते है। अपने बच्चों को बेह्तर स्कूल भेज सकते है और अपनी पारिवारिक और सामाजिक ज़िम्मेवारियों का बेहरती से वहन कर सकते है।

खुली अर्थव्यवस्था मे बहुत सारी चीज़ों पे से सरकार का नियंत्रण कम होता है। इसको निजीकरण भी कह्ते है। मस्लन अब काफी व्यापार पे बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों की नज़र होती है। जब कोइ वित्तीय संस्थान किसी उद्योग में पूंजी निवेश कर्ता है तो वोह ये देखने को बाध्य होता है कि यह उद्योग थीक से काम करे। वित्तीय संस्थान ये भी देख्ता है के उद्योग ऐसा कुछ ना करे जिस्से कि उसपे किसी तरह का लीगल प्रौब्लम हो।

खुली अर्थव्यवस्था मे बाज़ार स्वत: ही ऐसे काम करता है जिसकी की लोगों को ज़रूरत है। अगर कोई उत्पाद या

सेवा ऐसी है जिसकी लोगों को ज़रूरत है तो पुराने उद्योग्पति या कोइ नया आंत्रप्रेन्यौर उस तरह के उत्पाद या सेवा को लोगो तक पहुंचाने लग्ता है। आखिर इसमे उत्पादक और उत्भोग्ता – दोनो का ही फयदा है। अगर कोइ उत्पाद या सेवा ऐसी है जिसकी लोगों को अब ज़रूरत नही है तो वह धीरे धीरे बन्द हो जाती है। अगर लोग खरीदेने नही तो कम्पनी को घाटा होगा और वह या तो अपना उत्पाद वक्त के साथ बदलेगी या उसे बनाना बन्द कर देगी।

खुली अर्थव्यवस्था से नयी तकनीकों का विकास होता है। बाज़ार मे होने वाली प्रतिस्पर्धा उद्योगो को नयी तक्नीकों के विकास को बाध्य कर्ती है।

विभिन्न उद्योगों का भारत मे विकास

1990 के बाद से भारत मे काफी सारे उद्योगों का तेज़ी से विकास हुआ है। अधिकांश लोगों के नज़रिये से 1990 से अब तक किये गये आर्थिक सुधारों ने ही भारत को दुनिया में एक सशक्त आर्थिक देश का दर्ज़ा दिलाया। विभिन्न उद्योगों का भारत में विकास अभूतपूर्व है।

भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सातवें स्थान पर है, जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान है और केवल 2.4 प्रतिशत क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व की जनसंख्या के 17त्र भाग को शरण प्रदान करता है।

1991 से भारत में बहुत तेज आर्थिक प्रगति हुई है जब से उदारीक़रण और आर्थिक सुधार की नीति लागू की गयी है और भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रुप में उभरकर आया है। सुधारों से पूर्व मुख्य रुप से भारतीय उद्योगों और व्यापार पर सरकारी नियंत्रण का बोलबाला था और सुधार लागू करने से पूर्व इसका जोरदार विरोध भी हुआ परंतु आर्थिक सुधारों के अंच्छे परिणाम सामने आने से विरोध काफी हद तक कम हुआ है। हलाकि मूलभूत ढाँचे में तेज प्रगति न होने से एक बड़ा तबका अब भी नाखुश है और एक बड़ा हिस्सा इन सुधारों से अभी भी लाभान्वित नहीं हुये हैं।

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

अप्रैल 2014 में जारी रिपोर्ट में वर्ष 2011 के विश्लेषण में विश्व बैंक ने क्रयशक्ति समानता (परचेज़िंग पावर पैरिटी) के आधार पर भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया। बैंक के इंटरनैशनल कंपेरिजन प्रोग्राम (आईसीपी) के 2011 राउंड में अमेरिका और चीन के बाद भारत को स्थान दिया गया है। 2005 में यह 10वें स्थान पर थी।[3] 2003–2004 में भारत विश्व में 12वीं सबसे बडी अर्थव्यवस्था थी। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी) के राष्ट्रीय लेखों के प्रमुख समाहार डाटाबेस, दिसम्बर 2013 के आधार पर की गई देशों की रैंकिंग के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार भारत की रैंकिंग 10 और प्रति व्यक्ति सकल आय के अनुसार भारत विश्व में 161वें स्थान पर है।[1]सन 2003 में प्रति व्यक्ति आय के

लिहाज से विश्व बैंक के अनुसार भारत का 143 वाँ स्थान था।

इतिहास

भारत एक समय मे सोने की चिडिया कहलाता था। आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन के अनुसार पहली सदी से लेकर दसवीं सदी तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पहली सदी में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विश्व के कुल जीडीपी का 32.9% था सन् 1000 में यह 28.9% था और सन् 1700 में 24.4 प्रतिशत था।

ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था का जमकर शोषण व दोहन हुआ जिसके फलस्वरूप 1947 में आज़ादी के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सुनहरी इतिहास का एक खंडहर मात्र रह गई।

आज़ादी के बाद से भारत का झुकाव समाजवादी प्रणाली की ओर रहा। सार्वजनिक उद्योगों तथा केंद्रीय आयोजन को बढ़ावा दिया गया। बीसवीं शताब्दी में सोवियत संघ के साथ साथ भारत में भी इस प्रणाली का अंत हो गया। 1991 में भारत को भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा जिसके फलस्वरूप भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। उसके बाद नरसिंह राव की सरकार ने वित्तमंत्री मनमोहन सिंह के निर्देशन में आर्थिक सुधारों की लंबी कवायद शुरु की जिसके बाद धीरे धीरे भारत विदेशी पूँजी निवेश का आकर्षण बना और संराअमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बना। 1991 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता का दौर आरम्भ हुआ। इसके बाद से भारत ने प्रतिवर्ष लगभग 8त्न से अधिक की वृद्धि दर्ज की। अप्रत्याशित रुप से वर्ष 2003 में भारत ने 8.4 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की जो दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था का एक संकेत समझा गया। यही नहीं 2005-06 और 2007-08 के बीच लगातार तीन वर्षों तक 9 प्रतिशत से अधिक की अभूतपूर्व विकास दर प्राप्त की। कुल मिलाकर 2004-05 से 2011-12 के दौरान भारत की वार्षिक विकास दर औसतन 8.3 प्रतिशत रही किंतु वैश्विक मंदी की मार के चलते 2012-13 और 2013-14 में 4.6 प्रतिशत की औसत पर पहुंच गई। लगातार दो वर्षों तक 5 प्रतिशत से कम की स.घ.उ. विकास दर, अंतिम बार 25 वर्ष पहले 1986-87 और 1987-88 में देखी गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी ऋण

वैश्विक निर्यातों और आयातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2000 के क्रमश: 0.7 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत से बढ़ता हुआ वर्ष 2013 में क्रमश: 1.7 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत हो गया। भारत के कुल वस्तु व्यापार में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है जिसका सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 2000-01 के 21.8 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 44.1 प्रतिशत हो गया।

भारत का वस्तु निर्यात 2013-14 में 312.6 बिलियन अमरीकी डॉलर (सीमा शुल्क आधार पर) तक जा पहुंचा। इसने 2012-13 के दौरान की 1.8 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

2012–13 की तुलना में 2013–14 में आयातों के मूल्य में 8.3 प्रतिशत की गिरावट हुई जिसकी वजह तेल–भिन्न आयातों में 12.8 प्रतिशत की गिरावट रही। सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों के कारण सोने का आयात 2011–12 के 1078 टन से कम होकर 2012–13 में 1037 टन तथा और कम होकर 2013–14 में 664 टन रह गया। मूल्य के संदर्भ में, सोने और चांदी के आयात में 2013–14 में 40.1 प्रतिशत की गिरावट हुई और वह 33.4 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर आ गया। 2013–14 में आयातों में हुई जबरस्त गिरावट और साधारण निर्यात वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत का व्यापार घाटा 2012–13 के 190.3 बिलियन अमरीकी डॉलर से कम होकर 137.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर आ गया जिससे चालू व्यापार घाटे में कमी आई।

2008–09 के बाद से केन्द्रीय राजस्व घाटे में बढ़त कराने वाले प्रधान कारणों में से एक कारण सब्सिडियों का उत्तरोत्तर बढ़ते जाना रहा है। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, 2013–14 में प्रधान सब्सिडियों का योग 2,47,596 करोड़ रुपए था। सब्सिडियों में तीव्र वृद्धि हुई है जो 2007–08 में स.घ.उ. के 1.42 प्रतिशत से बढ़ती हुई 2012–13 में स.घ.उ. के 2.56 प्रतिशत हो गई, 2013–14 (संशोधित अनुमान) के अनुसार यह स.घ.उ. का 2.26 प्रतिशत थी। उर्वरक सब्सिडी का अंशत: विनियंत्रण हुआ है, इसी प्रकार पेट्रोल की कीमतें विनियंत्रित कर दी गई हैं तथा डीजल की कीमतों में 50 पैसे प्रति लीटर की मासिक बढ़ोतरी करायी जा रही है।

सन्दर्भ -

प्रति व्यक्ति आय. पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार. 25 जुलाई 2014. अभिगमन तिथि 28 जुलाई 2014.

आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थव्यवस्था की स्थिति. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. अभिगमन तिथि जुलाई 2014.

भारत बना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी. नवभारत टाईम्स. 30 अप्रैल 2014.

अंगस मैडिसन (Angus Maddison) द वर्ड इकनॉमी अ इलेनिअल परस्पेक्टिव

रंगराजन सी?, सीमा और ई?एम? विबीश (2014), 'डेवल्पमेंट्स इन दि वर्कफोर्स बिटवीन 2009–10 एंड 2011–12, इकनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली, वाल्यूम XLIX (23)

केन्द्रीय बजट दस्तावेज और लेखा महानियंत्रक (सीजीए)।

राजसहायता में कमी. पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार. 11जुलाई 2014. अभिगमन तिथि 12 जुलाई 2014.

https://hi.wikipedia.org/wiki

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

आपदा प्रबन्धन-एक अध्ययन

नीलिमा चटर्जी
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग
शासकीय महाविद्यालय, बरेली (म.प्र.)

सूखा, बाढ़, चक्रवाती तूफानों, भूकम्प, भूस्खलन, वनों में लगनेवाली आग, ओलावृष्टि, टिड्डी दल और ज्वालामुखी फटने जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, न ही इन्हें रोका जा सकता है लेकिन इनके प्रभाव को एक सीमा तक जरूर कम किया जा सकता है, जिससे कि जान–माल का कम से कम नुकसान हो। यह कार्य तभी किया जा सकता है, जब सक्षम रूप से आपदा प्रबंधन का सहयोग मिले। प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में भारत का दसवां स्थान है।

परिचय

आपदा प्रबंधन के दो महत्वपूर्ण आंतरिक पहलू हैं। वह हैं पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती आपदा प्रबंधन। पूर्ववर्ती आपदा प्रबंधन को जोखिम प्रबंधन के रूप में जाना जाता है।

आपदा के खतरे जोखिम एवं शीघ्र चपेट में आनेवाली स्थितियों के मेल से उत्पन्न होते हैं। यह कारक समय और भौगोलिक दृ दोनों पहलुओं से बदलते रहते हैं। जोखिम प्रबंधन के तीन घटक होते हैं। इसमें खतरे की पहचान, खतरा कम करना (ह्रास) और उत्तरवर्ती आपदा प्रबंधन शामिल है।

आपदा प्रबंधन का पहला चरण है खतरों की पहचान। इस अवस्था पर प्रकृति की जानकारी तथा किसी विशिष्ट अवस्थल की विशेषताओं से संबंधित खतरे की सीमा को जानना शामिल है। साथ ही इसमें जोखिम के आंकलन से प्राप्त विशिष्ट भौतिक खतरों की प्रकृति की सूचना भी समाविष्ट है।

इसके अतिरिक्त बढ़ती आबादी के प्रभाव क्षेत्र एवं ऐसे खतरों से जुड़े माहौल से संबंधित सूचना और डाटा भी आपदा प्रबंधन का अंग है। इसमें ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं कि निरंतर चलनेवाली

परियोजनाएं कैसे तैयार की जानी हैं और कहां पर धन का निवेश किया जाना उचित होगा, जिससे दुर्दम्य आपदाओं का सामना किया जा सके।

इस प्रकार जोखिम प्रबंधन तथा आपदा के लिए नियुक्त व्यावसायिक मिलकर जोखिम भरे क्षेत्रों के अनुमान से संबंधित कार्य करते हैं। ये व्यवसायी आपदा के पूर्वानुमान के आंकलन का प्रयास करते हैं और आवश्यक एहतियात बरतते हैं।

जनशक्ति, वित्त और अन्य आधारभूत समर्थन आपदा प्रबंधन की उप–शाखा का ही हिस्सा हैं। आपदा के बाद की स्थिति आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण आधार है। जब आपदा के कारण सब कुछ अस्त–व्यस्त हो जाता है तब लोगों को स्वयं ही उंजड़े जीवन को पुनरू बसाना होता है तथा अपने दिन–प्रतिदिन के कार्य पुनरू शुरू करने पड़ते हैं।

आपदा प्रबंधक के कार्य

आपदा प्रबंधकों को ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जीवन बहाल करने का कार्य करना पड़ता है। आपदा प्रबंधन व्यावसायिक समन्वयक के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि समस्त आवश्यक सहायक साधन और सुविधाएं सही समय पर आपदाग्रस्त क्षेत्र में उपलब्ध हैं, जिससे कम से कम नुकसान होता है।

यह प्रबंधक ऐसे विशेषज्ञ लोगों के समूह का मुखिया होता है, जिनकी सेवाएं आपदा के समय अनिवार्य होती हैं। जैसे–डॉक्टर, नर्स, सिविल इंजीनियर, दूरसंचार विशेषज्ञ, वास्तुशिल्प, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि। आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती आपदाग्रस्त सीमा–क्षेत्र और होनेवाली क्षति का आंकलन करना है। इससे इस क्षेत्र का कार्य अत्यधिक वैज्ञानिक प्रक्रिया का रूप ले लेता है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थितियों के कारण चुनौती और भी बढ़ जाती है।

आपदा अधिकार–क्षेत्र की तमाम सीमाएं लांघ सकती है। विपत्ति के समय अनजान कार्यों की जिम्मेदारी उठाने की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विशेष कर्मियों की जरूरत होती है। इससे यह कार्य और अधिक कठिन हो जाता है।

आपदा प्रबंधन (अंग्रेजीरू क्पेंजमत डंदंहमउमदज) आकस्मिक विपदाओं से निपटने के लिए संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग और इन विपदाओं से होने वाली हानि को न्यूनतम रखने की कुंजी है। आपदा प्रबंधन विकसित देशों की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और उसे पूरे वैज्ञानिक तरीके से उन्नत किया जा रहा है। किसी राष्ट्र को केवल उसकी आर्थिक समृद्धि या सामरिक शक्ति के आधार पर विकसित या विकासशील नहीं माना जा सकता। विकसित या विकासशील राष्ट्र होने के लिए जरुरी है आधारभूत सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, शिक्षा आदि का भी विश्वस्तरीय होना। ये मानक हैं विकास के

और इन्हीं मानकों में से एक है आपदा प्रबंधन।

आपदाओं के प्रकार

आपदाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं – प्राकृतिक तथा मानव द्वारा उत्पन्न। प्राकृतिक आपदाएं जैसे– भूकंप, भूस्खलन, सूखा, बाढ़, सुनामी एवं चक्रवात आदि प्रकृति के कारण घटित होती हैं, जबकि मानवीय आपदाएं मनुष्य के कार्यों जैसे सड़क, रेल, हवाई तथा औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण आती हैं, भूकंप पृथ्वी के आतंरिक दबाव एवं उनके समायोजन के कारण आते हैं, भारत को, भूकंप की संभावनाओं के आधार पर पांच भूकंपीय जोनों में बांटा गया है। भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र सामान्यतः हिमालयी, उप–हिमालयी क्षेत्रों, कच्छ तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में स्थित हैं। भयंकर भूकंपों जैसे उत्तरकाशी (1991), लातूर (1993) तथा जबलपुर (1997) के अतिरिक्त साधारण तथा हल्के भूकंप भी बड़ी संख्या में देश के विभिन्न भागों में आए हैं। गुरुत्व, घर्षण, भूकंप, बरसात तथा मानव निर्मित कृत्यों से चट्टानों के खिसकने के कारण भूस्खलन होता है। सूखा, बारिश के कम मात्रा में होने के कारण पड़ता है। सूखा मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है – मौसम विज्ञान से संबंधित, जलविज्ञान से संबंधित तथा कृषि से संबंधित। देश में 16 प्रतिशत क्षेत्रफल सूखा प्रवृत्त है। बीसवीं शताब्दी में वर्ष 1941, 1951, 1979, 1982 तथा 1987 में भयंकर सूखा पड़ा था। देश का उत्तर–पश्चिमी भाग अत्यधिक सूखा–प्रवृत्त क्षेत्र है। कम समय में अधिक बारिश होने विशेष रूप से चिकनी मिट्टी, कम दबाव के क्षेत्र तथा निकास–बहाव के कम होने के कारण बाढ़ आती है। भारत दूसरा अत्यधिक बाढ़ प्रभावित देश है, जहां वर्षा ऋतु में यह आम बात है। प्रायः प्रत्येक वर्ष भयानक बाढ़ आती है जिसके कारण जान की क्षति, सम्पत्ति की क्षति, स्वास्थ्य समस्या तथा मनुष्यों की मृत्यु आदि जैसी घटनाएं घटित होती हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग रिपोर्ट (1980) में देश में 40 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्रफल को बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्र निर्धारित किया गया है। देश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी घाटी अत्यधिक बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्र हैं। महासागरों में भूकंप आने के कारण समुद्री तूफान (सुनामी) आते हैं। चक्रवात समुद्रों में तापमान तथा दबाव में भिन्नता होने के कारण आते हैं। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में प्रतिवर्ष औसतन 5 से 6 उष्ण कटिबंधी चक्रवात आते हैं। बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तट के समानांतर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु तथा अरब सागर राज्यों में पश्चिमी तट के समानांतर गुजरात एवं महाराष्ट्र चक्रवात तथा सुनामी की अत्यधिक संभावना वाले क्षेत्र हैं। जंगल की आग या दावानल बरसाती जंगलों या लम्बे पत्ती वाले पेड़ों के जंगल में लगती है। गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में शंकुवृक्ष (कोनिफेरस) तथा सदाबहार बडेध पत्ते वाले वृक्षों के जंगलों में प्रायः जंगल की आग लगती है। जंगल की आग पर्यावरण, कृषि भूमि, पशुओं तथा कीड़ों

के लिए खतरनाक होती है। मानवीय आपदाएं मनुष्य की गलतियों जैसे सड़क, रेल, हवाई एवं औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण आती हैं।

आपदा की रोकथाम

आपदा प्रबंधन को मुख्यतरू चार चरणों में बांटा जाता है। प्रथम चरण होता है आपदा की रोकथाम। इस सिलसिले में प्रयास होता है कि प्रत्याशित आपदा की पूर्व सूचना से क्षेत्र को जल्द से जल्द सचेत किया जाय जिससे जन हानि को कम से कम किया जा सके। दूसरा चरण होता है आपदाओं से निपटने की तैयारी। इस चरण में दुर्घटना घटते ही त्वरित सूचना सभी संबंधित विभागों तक पहुंचाई जाती है, आपातकालिक स्थिति में प्रतिक्रिया का समय कम से कम हो इसलिए आपदा से निपटने के साधनों का पर्याप्त भंडारण किया जाता है। तीसरा चरण होता है प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्री पहुंचाना, जैसे भोजन पानी, दवाइयां, कपड़े, कम्बल इत्यादि। अंतिम चरण होता है प्रभावित क्षेत्र का पुनर्निर्माण और विस्थापितों का पुनर्वास।

जापान की आपदा प्रबंधन प्रणाली

आपदा प्रबंधन की दिशा में जापान ने सर्वाधिक कार्य किया है। प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर को आपदा रोकथाम दिवस मनाया जाता है तथा 30 अगस्त से 5 सितम्बर तक पूरे देश में आपदा प्रबंधन सप्ताह मनाया जाता है जिसमे आपदा प्रबंधन मेला, संगोष्ठी, पोस्टर प्रतियोगिता आदि आयोजित किए जाते हैं ताकि आम जनता में आपदाओं से निपटने के लिए चेतना और ज्ञान का प्रसार किया जा सके। कई जापानी स्कूलों में पहले दिन ही भूकंप की स्थिति में बच्चों से भवन खाली करने की ड्रिल कराई जाती है। जापान के प्रधानमंत्री स्वयं आपदा रोकथाम ड्रिल में शामिल होते हैं। जापान की भूकंप और सुनामी की चेतावनी देने वाली प्रणाली अत्याधुनिक है। सुनामी की गति, स्थिति, ऊंचाई आदि जानकारी कुछ ही क्षणों में रहवासियों को उपलब्ध करा दी जाती है ताकि सूनामी तट पर पहुंचने से पहले ही सारे रहवासी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें। जापान के कई तटों पर सुनामी रोधी भवन बनाए गए हैं ताकि लोग आपात स्थिति में उन भवनों में शरण ले सकें। भूकंप रोधी भवन बनाने का विज्ञान भी जापान में सबसे ज्यादा विकसित है। जापान की आपदा प्रबंधन प्रणाली बहुत ही सुपरिभाषित है। इस प्रणाली में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां पूरी बारीकियों के साथ वर्णित हैं। आपदा के वक्त सरकारी हों या निजी सारे संगठन साथ जुट जाते हैं और इसे नेतृत्व मिलता है स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय से क्योंकि आपदा प्रबंधन का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। बड़े समन्वय और तालमेल के साथ आपदा से निपटा जाता है। हर आपदा के बाद नीतियों की फिर से समीक्षा कर संशोधित किया जाता है और उनकी खामियों को दूर किया जाता है।

आपदा प्रबंधन में शिक्षा एवं रोजगार

भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है और यहां प्राकृतिक तथा मानवीय आपदाओं की अत्यधिक संभावना है। भारत का भू–भाग 135.79 मिलियन वर्ग किलोमीटर है जो विश्व का 2.4: है। जबकि इसकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या की 16.7: है। हमारे देश की भू–वैज्ञानिक तथा भौगोलिक संरचना ऐसी है जो इसे आपदाओं की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। देश के उत्तर तथा पूर्वोत्तर भाग में एक पर्वत श्रृंखला–हिमालय अत्यधिक भूकंप, भूस्खलन तथा हिमस्खलन जनित क्षेत्र है। उत्तरी भारत के भू–भाग में बाढ़ तथा सूखे का खतरा होता है। हमारा उत्तर–पश्चिमी भाग सूखे तथा बंजरता की संभावना वाला क्षेत्र है, जबकि हमारे तटीय क्षेत्रों में सुनामी तथा चक्रवात के खतरे होते हैं। दूसरे शब्दों में हमारा देश सभी प्रकार की आपदाओं अर्थात भूकंप, सूखे, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन, बंजरता, जंगल की आग तथा औद्योगिक वाहन (सड़क, रेल, वायु) दुर्घटनाओं की संभावनाओं वाला क्षेत्र है। विश्व में 90: आपदाएं विकासशील देशों में घटती हैं। भारत में, 70: क्षेत्र सूखा प्रवृत्त, 12: बाढ़ प्रवृत्त, 60: भूकंप प्रवृत्त तथा 8: चक्रवात प्रवृत्त हैं। प्रतिशतता के ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हमें ऐसी प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता है जो आपदा के समय सहायता कर सके और आपदा नियंत्रण की स्कीमों के नियोजन, निगरानी तथा प्रबंधन में मदद कर सके। आज के परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी परिदृश्य के संदर्भ में, हमें उद्योग तथा सरकारी एवं निजी संगठनों के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की तत्काल आवश्यकता है।

आपदा प्रबंधन कार्मिकों की भूमिका

प्रशिक्षित जनशक्ति, आपदा से पहले, आपदा के दौरान तथा आपदा के बाद की स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक होती है। प्रशिक्षित जनशक्ति आपदा प्रभावित व्यक्तियों के शीघ्र पुनर्वास में सहायता करती है, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थितियों को समझती है और आपदा के बाद उन स्थितियों को दूर करने तथा उन्हें बसाने में सहायता करती है। नियोजन तथा नीति–निर्माण में, बेहतर सुझाव देने के लिए प्रशिक्षित एवं अनुभवी जनशक्ति की अत्यधिक आवश्यकता होती है। देश में गृह मंत्रालय नोडल एजेंसी है जो आपदाओं पर निगरानी तथा प्रबंधन कार्य करती है। कृषि, रसायन, नागरिक उड्डयन, रेलवे, सड़क परिवहन, पर्यावरण एवं वन, स्वास्थ्य तथा परमाणु ऊर्जा जैसे अन्य मंत्रालयधविभाग अपने संबंधित क्षेत्रोंध कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं।

आपदा प्रबंधन में शिक्षा

आपदाओं के न्यूनीकरण, निगरानी तथा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति होना प्रथम आवश्यकता है। अनेक विश्वविद्यालय तथा संस्थान आपदा प्रबंधन में प्रमाणपत्र, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, मास्टर तथा

अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम चलाते हैं। प्रमाणपत्र तथा स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 10+2 (इंटरमीडिएट) मूल आवश्यकता है और स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा मास्टर डिग्री के लिए 55: अंकों के साथ स्नातक डिग्री (बी.ए.ध्बीएस.सी.ध्बी.कॉम.) होना जरूरी है। पीएच.डी. डिग्री के लिए 55: अंकों की मास्टर डिग्री होना आवश्यक है। तथापि, प्रवेश–योग्यता प्रत्येक विश्वविद्यालय में अलग–अलग है। आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम सभी विषयों के छात्रों के लिए उपयुक्त हैं, किंतु सामाजिकी, सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, भूगोल, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान तथा कृषि के छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इन विषयों के व्यक्ति अपने विशेष विषय के मूल ज्ञान का उपयोग आपदा प्रबंधन में कर सकते हैं।

पर्यावरण आज एक चर्चित और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर पिछले दो–तीन दशकों से काफी बातें हो रहीं हैं। हमारे देश और दुनियाभर में पर्यावरण के असंतुलन और उससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा भी बहुत हो रही है और काफी चिंता भी काफी व्यक्त की जा रही है लेकिन पर्यावरणीय असंतुलन अथवा बिगाड़ को कम करने की कोशिशें उतनी प्रभावपूर्ण नहीं हैं, जितनी अपेक्षित और आवश्यक हैं।

पर्यावरण के पक्ष में काफी बातें कहीं जा चुकी हैं। मैं इसके बिगाड़ से बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण जन–धन की हानि के लगातार बढ़ते आंकड़ों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा ताकि आप अनुभव कर सकें कि पर्यावरणीय असंतुलन तथा प्राकृतिक प्रकोपों की कितनी कीमत भारत तथा अन्य देशों को चुकानी पड़ रही है।

पर्यावरण के असंतुलन के दो मुख्य कारण हैं। एक है बढ़ती जनसंख्या और दूसरा बढ़ती मानवीय आवश्यकताएं तथा उपभोक्तावृत्ति। इन दोनों का असर प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है और उनकी वहनीय क्षमता लगातार कम हो रही है। पेड़ों के कटने, भूमि के खनन, जल के दुरुपयोग और वायु मंडल के प्रदूषण ने पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा किया है। इससे प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ी हैं। पेड़ों के कटने से धरती नंगी हो रही है और उसकी मिट्टी को बांधे रखने, वर्षा की तीक्ष्ण बूंदों से मिट्टी को बचाने, हवा को शुद्ध करने और वर्षा जल को भूमि में रिसाने की शक्ति लगातार क्षीण हो रही है। इसी का परिणाम है कि भूक्षरण, भूस्खलन और भूमि का कटाव बढ़ रहा है जिससे मिट्टी अनियंत्रित होकर बह रही है। इससे पहाड़ों और ऊँचाई वाले इलाकों की उर्वरता समाप्त हो रही है तथा मैदानों में यह मिट्टी पानी का घनत्व बढ़ाकर और नदी तल को ऊपर उठाकर बाढ़ की विभीषिका को बढ़ा रही है। खनन की वजह से भी मिट्टी का बहाव तेजी से बढ़ रहा है। उद्योगों और उन्नत कृषि ने पानी की खपत को बेतहाशा बढ़ाया है। पानी की बढ़ती जरूरत भूजल के स्तर को लगातार कम कर रही है, वहीं उद्योगों के विषैले घोलों तथा गंदी नालियों के निकास ने नदियों को विकृत करके रख दिया है

और उनकी शुद्धिकरण की आत्मशक्ति समाप्त हो गई है। कारखानों और वाहनों के गंदे धुएं और ग्रीन हाउस गैसों ने वायु मंडल को प्रदूषित कर दिया है। यह स्थिति जिस मात्रा में बिगड़ेगी, पृथ्वी पर प्राणियों का जीवन उसी मात्रा में दूभर होता चला जाएगा।

प्राकृतिक आपदा से हो रही जन–धन की हानि के आंकड़े चौंकाने वाले ही नहीं बल्कि गंभीर चिंता का विषय भी हैं। स्वीडिश रेडक्रास ने 'प्रिवेन्शन इज बेटर देन क्योर' नामक अपनी रिपोर्ट में कुछ देशों में 1960 से 1931 के बीच प्राकृतिक आपदाओं से हुई भारी जनहानि के आंकड़े दिए हैं। इनके अनुसार इन बीस वर्षों में अकेले बांग्लादेश में 633000 लोगों की जानें गई, जिनमें 386200 व्यक्ति समुद्री तूफान से तथा 39900 बाढ़ से मारे गए। इसी अवधि में चीन में 2.47 लाख, निकारगुआ में 1.06 लाख, इथोपिया में 1.03 लाख, पेरु में 91 हजार तथा भारत में 60 हजार लोगों की जानें प्राकृतिक आपदाओं में चली गई। भारत में समुद्री तूफान से 24930 तथा बाढ़ से 14700 व्यक्तियों की जानें गई। बाढ़ से पाकिस्तान में 2100 तथा नेपाल में 1500 लोग उक्त काल–खण्ड में मारे गए।

उल्लेखनीय तथ्य यह रहा कि प्राकृतिक आपदाओं में मरने वालों लोगों में बड़ी संख्या उन निर्बल– निर्धन लोगों की रही, जो अपने लिए सुरक्षित आवास नहीं बना सकते थे अथवा जो स्वयं को सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं करा सकते थे। फिर वे चाहे समुद्र तटीय मछुआरे हों या वनों–पहाड़ों में रहने वाले गरीब लोग।

बीसवीं सदी का अंतिम दशक भूकम्पों का त्रासदी का दशक भी रहा है। दुनिया के अनेक भागों में भूकम्प के झटकों ने जन–जीवन में भारी तबाही मचाई है। भारत में भी 1991 के उत्तरकाशी भूकम्प के बाद 1993 में लातूर–उस्मानाबाद और 1999 में गढ़वाल में भूकम्प के झटकों ने व्यापक विनाश किया। 1998 में उत्तराखंड में भूस्खलनों की भी व्यापक विनाश–लीला रही।

यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि प्राकृतिक आपदाओं और उनसे प्रभावित होने वालों की संख्या इन वर्षों में तेजी से बढ़ी है। भारत में हिमालय से सह्याद्रि और दण्डकारण्य तथा पूर्वी और पश्चिमी घाटों तक में मिट्टी का कटाव–बहाव तेज होने और उनसे उद्‌गमित होने वाली नदियों की बौखलाहट बड़ी तेजी से बढ़ी है।

हम देख रहे हैं कि हिमालय क्षेत्र में इसके लिए हमारी विकास की अवधारणाएं और क्रियाकलाप भी दोषी हैं। विकास के नाम पर नाजुक क्षेत्रों में भी मोटर मार्ग तथा अन्य निर्माण कार्य किए गए जिनमें भारी विस्फोटकों का उपयोग किया गया। मिट्टी बेतरतीब ढंग से काटी गई और जंगलों का बेहताशा कटाव किया गया। इस कारण बड़ी संख्या में नए–नए भूस्खलन उभरे और नदियों की बौखलाहट बढ़ी। इनमें लाखों टन मिट्टी बह रही है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल हिमालयवासियों पर पड़ रहा है

बल्कि मैदानी प्रदेश भी बाढ़ की विभीषिका से बुरी तरह संत्रस्त हैं।

यह सही है कि प्राकृतिक आपदाओं को हम पूरी तरह रोकने में समर्थ नहीं हैं किंतु उन्हें उत्तेजित करने एवं बढ़ाने में निश्चित ही हमारी भागीदारी रही है। इसके लिए हमें तात्कालिक लाभ वाले कार्यक्रमों का मोह छोड़ना होगा। क्षेत्रों में स्थाई विकास की योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पर्यावरण के विचार केन्द्र में उस आदमी को प्रतिष्ठापित किया जाने चाहिए जिसके चारों ओर यह घटित हो रहा है और जो बड़ी सीमा तक इसका कारक एवं परिणामभोक्ता दोनों है। उस क्षेत्र की धरती, पेड़, वनस्पति, जल, जानवरों के साथ उनके अंतर्संबंधों को विश्लेषित करके ही कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। उनको इसके साथ प्रमुखता से जोड़ा जाना चाहिए।

यह भी जरुरी है कि ऐसे नाजुक क्षेत्रों में आपदाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उपग्रह के आंकड़ों का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क आपदाओं की सूचना (डिजास्टर फोरकास्ट) के लिए तैयार किया जाए। इन सूचनाओं का बिना रोक–टोक आदान–प्रदान किया जाना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों की मॉनिटिरिंग एवं निगाह रखने के लिए स्थाई व्यवस्था हो। साथ ही बाढ़ एवं भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों का विकास कार्यों को शुरु करने से पूर्व विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए।

संदर्भ –

क्रियेटिव कॉमन्स ट्रीब्यूशन शेयर–अलाइक लाइसेंस

आपदा प्रबंधन में शिक्षा एवं रोजगार (हिन्दी) इंडिया वाटर पोर्टल। अभिगमन तिथिरू 27 अप्रॅल, 2015।

कब सीखेंगे हम आपदा प्रबंधन की तकनीक (हिन्दी) वेब दुनिया। अभिगमन तिथिरू 26 अप्रॅल, 2015। hindi.indiawaterportal.org/node/19773

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

जल संसाधन एवं प्रबंधन

नीलिमा चटर्जी
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग
शासकीय महाविद्यालय, बरेली (म.प्र.)

आज विश्व के सामने प्रदूषण का खतरा अत्यंत गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रहा है। यद्यपि बहुत पुराने समय से (जब से मनुष्य ने आग का उपयोग शुरू किया) प्रदूषण अस्तित्व में था, किन्तु 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति के कारण पूरे विश्व में यह बहुत तेजी से बढ़ा है, हालांकि औद्योगिक क्रांति द्वारा विश्व में तकनीकी प्रगति बहुत तेजी से ही है, किंतु साथ ही साथ मनुष्य द्वारा प्रकृति का दोहन भी बहुत तेजी से किया जा रहा है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। यह सत्य है कि प्रगति के लिए उद्योगों का होना आवश्यक है, लेकिन उद्योगों की बेतहाशा वृद्धि जन–कल्याण के हित में नहीं हो सकती। दिन–प्रतिदिन बढ़ते कारखानों से निकलने वाले जहरीले अपशिष्टों एवं गैसों से हमारा पर्यावरण एवं हमारे जल संसाधन प्रदूषित होते जा रहे हैं।

पर्यावरण मुख्यतया वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा जल प्रदूषण से दूषित हो रहा है। वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। परन्तु जैसे–जैसे आबादी बढ़ रही है, कल–कारखानें भी बढ़ रहे हैं। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से व्यक्ति नई–नई बिमारियों का शिकार हो रहा है। वृक्षों के काटे जाने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हानिकारक गैसों की मात्रा वातावरण में बढ़ती जा रही है। दमा, खाँसी आदि बीमारियों का बढ़ना इसी का परिणाम है। जीवन की खाने–पीने की सभी वस्तुएँ मिट्टी में ही पैदा होती है। जब मृदा ही प्रदूषित होगी, तो हमारे खाद्य पदार्थ भी प्रदूषित होंगे। इसका कारण भी वृक्षों का कटाव, रासायनिक खादों का प्रयोग, पॉलिथीन का प्रयोग आदि है। गाड़ियों के हॉर्न, मिलों के सायरन, टेलीविजन, टेप रिकार्डर, लाउड स्पीकर की आवाजों के शोर से ध्वनि प्रदूषण फैलता है, जो मनुष्य के कानों को खराब कर उन्हें बहरा बना रहा है।

समस्थानिक तकनीकों द्वारा टिहरी जलाशय से जल रिसाव के स्रोतों का आंकलन

टिहरी बाँध का निर्माण गंगा की मुख्य सहायक नदी भागीरथी पर किया गया है। टिहरी बाँध की

ऊंचाई 855 फीट (260.5 मी.) है तथा यह विश्व का पाँचवा एवं एशिया क्षेत्र में सबसे ऊँचा, मृदा व चट्टानों से निर्मित बाँध है। वर्तमान में टिहरी बाँध प्रचालन स्थिति में है। बाँध के अनुप्रवाह एवेटमेंट में जल दबाव कम करने के लिए जल निकासी गैलरियों का एक जाल निर्मित किया गया है। जलाशय के भराव एवं खाली होने के दौरान विभिन्न निकास गैलरियों के द्वारा नियमित रूप से जल निस्यंदित होता है। परन्तु जलाशय में जल भराव के दौरान, जल निकासी के लिए बनाई गई कुछ गैलरियों जैसे ए.जी.आर.–3 एवं ए.आइ.जी.आर. में मुख्यतः सात स्थानों से निस्यंदित जल का निस्सरण तेजी से होता है।

अतः इस अध्ययन में निस्यंदित हो रहे जल के स्रोत का अभिनिर्धारण समस्थानिकों के प्रयोग से किया गया है। इसके अन्तर्गत बाँध के साथ–साथ विभिन्न जल स्रोतों जैसे भूजल, वाहिका, वर्षा इत्यादि के जल नमूनों के समस्थानिकों जैसे ऑक्सीजन–18 और हाइड्रोजन–2 का परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण के आधार पर यह पाया गया है कि दोनों निकासी गैलरियों में एक स्थान को छोड़कर शेष सभी स्थानों से निस्यंदित जल का स्रोत बाँध से निर्मित झील में एकत्रित पानी ही है। तथा जलाशय के स्तर का आँकड़ा और निस्यंदित निस्सरण की दर का आपसी संबंध समस्थानिक परिणामों का समर्थन करते हैं।

पानीपानीबरसात का मौसम वह समय है, जब दूषित पानी और मच्छरों का संक्रमण बढ़ जाता है। मलेरिया से लेकर पेचिस, हैजा और दस्त जैसी बीमारियाँ अपना पैर पसारने लगती हैं।

मानसून के आते ही लोग सुकून तो जरूर महसूस करते हैं, लेकिन बारिश की फुहारें अपने आँचल में बीमारियों की सौगात भी लेकर आती हैं। इस मौसम में दूषित पानी और मच्छरों से होने वाली बीमारियों को पर लग जाते हैं और लोग उसकी चपेट में आने लगते हैं। बरसात में टायफाइड, डायरिया, पीलिया, वायरल और सर्दी–जुकाम होना आम बात है।

बारिश में पानी भर जाने की वजह से मच्छर ज्यादा पनपते हैं, जिससे चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू के प्रकोप भी बढ़ जाते हैं। ये मच्छर जनित बीमारियाँ हैं, लेकिन इनका आक्रमण मूल रूप से बरसात के दिनों में ही होता है। इन बीमारियों के इलाज के लिये विशेषज्ञ एंटीबॉयोटिक पर निर्भर होने की ज़गह प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाने की सलाह देते हैं।

आयुर्वेद के अनुसार बरसात वात के प्रकोप और पित्त के संचय का काल माना जाता है। पेट और उससे सम्बन्धित ज्यादातर बीमारियाँ बरसात के मौसम में ही होती हैं। ऐसा इसलिये होता है कि बारिश से पहले तेज गर्मी होने की वजह से हमारी पाचन–क्रिया कमजोर हो चुकी होती है। इसके चलते भोजन के साथ पेट के भीतर पहुँचे कीटाणु बरसात में सक्रिय होकर धीरे–धीरे बीमारी फैलाने लगते हैं। शरीर

में संक्रमण फैल जाता है। हर साल हजारों लोग इन रोगों से मारे जाते हैं। इनमें तेज बुखार आना, कंपकंपी, शरीर पर चकत्ते पड़ना, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी आम है।

जल जनित मौसमी बीमारियाँ

हैजा

बरसात के मौसम में हैजा होना आम बात है। यह प्रदूषित जल से होने वाला रोग है। यह हमारे पाचन तंत्र को खराब कर देता है। इस बीमारी में तीव्र अतिसार की शिकायत होती है। दस्त होते हैं। दस्त की वजह से धीरे–धीरे शरीर का पानी निकल जाता है और मरीज़ को डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगर समय पर उचित इलाज न हो, तो रोगी की मौत भी हो जाती है। इससे बचना है, तो अपने घर और आसपास सफाई रखें और हमेशा साफ पानी पिएँ। इस मौसम में उबला हुआ पानी पीना काफी लाभदायक है। दस्त के दौरान शरीर में पानी का सन्तुलन बनाए रखने के लिये मरीज को ज्यादा–से–ज्यादा पानी पीना चाहिए और साथ ही ओआरएस का घोल अवश्य लेना चाहिए।

टायफाइड

इस मौसम में खाने–पीने में थोड़ी–सी लापरवाही भी टायफाइड को दावत दे सकती है। इसमें लिवर में संक्रमण हो जाता है। यह प्रदूषित पानी पीने और बासी खाना खाने से होता है। यह काफी तेजी से फैलता है। घर में किसी को यह बीमारी है, तो खाने के बर्तनों को अलग कर देना चाहिए, ताकि दूसरे सदस्य इसकी चपेट में न आएँ। इसमें तेज बुखार, पेट में दर्द और सिर दर्द होता है। इसका इलाज लगभग दो सप्ताह तक चलता है। अगर दवा का कोर्स पूरा न लिया गया हो, तो बीमारी के दोबारा होने का खतरा रहता है।

सर्दी–जुकाम

बारिश में भीगने से सर्दी–जुकाम होने का खतरा बढ़ जाता है। लगातार छींके आना, गले में खराश, तेज बुखार आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। बच्चों को बारिश से बचाए रखना ज्यादा ज़रूरी है। अगर आप बीमारी की चपेट में आ गए हैं, तो रात में सोते समय एक गिलास गर्म दूध में हल्दी डालकर पिएँ। बरसात में अस्थमा भी बढ़ जाता है। इसमें रोगी की साँस फूलने लगती है। साँस लेने में कई बार तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि रोगी को कृत्रिम साँस प्रणाली का सहारा लेना होता है। इसकी मुख्य वजह मौसम की नमी से घरों के अन्दर फंगस पैदा होना है। चमड़े के जूते–चप्पलों में भी फंगस लगते हैं, जो अस्थमा को बढ़ाते हैं। इससे बचने के लिये फर्नीचर और चमड़े के सामानों की नियमित सफाई आवश्यक है।

इस समय रोगी को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। नियमित व्यायाम करें,

खासकर साँस सम्बन्धी व्यायाम जरूर करें। गुडुचि, पिपली, तुलसी, हल्दी, शहद आदि का सेवन करें। पंचकोल चूर्ण (सोंठ, पीपल, पीयरमूल आदि) को खाने के साथ लें। पुराना जौ, गेहूँ, चावल और सब्जियों का सूप भी पिएँ। खट्टा, नमकीन और तैलीय चीजों से परहेज करें। इस समय बैंगन, लौकी, तरोई, परवल और अन्य हरी सब्जियाँ, कंदमूल, अदरक, लहसुन, प्याज एवं सूखा नारियल, अंगूर, नींबू और आम के साथ केवल मौसमी फल का प्रयोग करें।

विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी शहर में बारिश का मजा तब ही लिया जा सकता है, जब बरसात के पानी की निकासी और संचयन के पर्याप्त इंतजाम हों। बहरहाल, थोड़ी–सी सावधानी से हम परेशानियों से बच सकते हैं।

गुणों की खान अमलतास : दिल्ली की पॉश कालोनियों और सड़कों के किनारे पीले फूलों वाला अमलतास का पेड़ आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप इसके गुणों से भी परिचित हैं? शायद नहीं। तो आइए हम बताते हैं कि कितना गुणकारी है अमलतास। बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस पेड़ के न सिर्फ फल–फूल, बल्कि पत्ता, तना, जड़ सहित सभी भाग सेहत के लिये लाभकारी हैं। इसकी फली का गूदा विशेष रूप से उपयोगी होता है।

किस–किस रोग में उपयोगी : सूखी खाँसी रू अमलतास के फलों का अवलेह बनाकर सेवन करने से सूखी खाँसी दूर हो जाती है।

कब्ज रू एक चम्मच अमलतास के फल के गूदे को एक कप पानी में भिगोकर, मसलकर छान लें। इसे पीने से कब्ज दूर हो जाता है।

बुखार रू तेज बुखार में इसकी जड़ की छाल का काढ़ा 50 मिली. की मात्रा में नियमित पीने से बुखार ठीक हो जाता है।

गले की खरास रू जड़ की छाल का काढ़ा बनाकर, गुनगुने काढ़े से गरारा करने से गले की खरास दूर हो जाती है।

एसिडिटी रू इसके फल के गूदे को पानी में घोलकर और गुनगुना करके नाभि के चारों ओर 10–15 मिनट तक मालिस करने से स्थायी लाभ होता है।

अस्थमा रू अस्थमा के रोगी में कफ को निकालने और कब्ज को दूर करने के लिये फलों का गूदा दो ग्राम पानी में घोलकर गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से लाभ होगा। साथ ही पत्तियों को कुचलकर 10 मिलीग्राम रस पिलाया जाय, तो साँस की तकलीफ में काफी आराम मिलता है।

त्वचा रोग रू इसकी पत्तियों को छाछ के साथ कुचलकर त्वचा पर लगाया जाय, तो त्वचा सम्बन्धित अनेक समस्याओं में आराम मिल जाता है। दाद–खाज, खुजली होने पर इसकी फलियों के गूदे और

मीठे नीम की पत्तियों को साथ में कुचलकर संक्रमित त्वचा पर लेप लगाने से आराम मिल जाता है। घाव रू इसकी छाल के काढ़े का प्रयोग घावों को धोने के लिये किया जाता है। इससे संक्रमण नहीं होता है।

किसी भी देश अथवा क्षेत्र के विकास में जल संसाधन के विकास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जल संसाधन के समुचित प्रबंधन एवं उपयोग से बाढ़ नियंत्रण, जलविद्युत उत्पादन, पेयजल, कल–कारखानों, ताप व आण्विक ऊर्जा उत्पादन हेतु जलापूर्ति, सिंचाई, आदि में मदद मिलती है। अंततः मानव समाज के आर्थिक व सामाजिक विकास में एक मजबूत कड़ी के रूप में सहायक साबित होती है। जल स्रोतों के विकास व प्रबंधन हेतु विभिन्न द्रव चालित संरचानाओं के निर्माण व यंत्रों के स्थापना की आवश्यकता पड़ती है।

जलगतिय संरचनाओंध यंत्रों का परिकल्पन विभिन्न प्रयोगों तथा दीर्घकालीन अनुभवों से प्राप्त सूत्रों (इम्पिरिकल फार्मूले) पर आधारित होता है साथ ही जल गति अभियांत्रिकी में कई जटिलध अज्ञात समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जिसका निदान उपलब्ध सूत्रोंध यंत्रों के निर्माण के पूर्व यह जानने के इच्छुक रहते हैं कि उनके द्वारा परिकल्पित संरचनाध्यंत्र वास्तविक रूप में निर्माणोपरान्त किस प्रकार कार्य करेगा। उनके मन में उठ रही शंकाओं का समाधान हो जाए इन्हीं शंकाओं को दूर करने, परिकल्पित संरचनाध्यंत्र का निर्माणध्स्थापना के बाद उनके कार्य एवं द्रवीय व्यवहार को जानने, विभिन्न जटिल जलगति समस्याओं के निदान, पर्याप्त, किफायती व टिकाऊ परिकल्पन आदि के लिए इनका प्रतिरूप अध्ययन एक सफलतम माध्यम है।

प्रतिरूप अध्ययन में मुख्यतः मूल संरचनाध्यंत्र का छोटेध्बड़े आकार प्रतिरूप तैयार कर उसमें जल प्रवाहित कर उसके प्रवाह से संबंधी कारक तथा वेग वितरण, दाब, जल प्रवाह का व्यवहार, उसके परिकल्पन की पर्याप्तता आदि का अध्ययन किया जाता है। जलगतिय प्रतिरूप अध्ययन मुख्यतः फ्राउड के सादृश्यता का सिद्धांत रेयनाल्ड के सादृश्यता का सिद्धान्त आदि के आधार पर भौतिकीय, इलैक्ट्रानिकध्विद्युतीय एवं गणितीयध्संख्या सूचक प्रतिरूपण के माध्यम से सम्पादित किया जाता है।

संदर्भ :

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, चतुर्थ राष्ट्रीय जल संगोष्ठी, 16–17 दिसम्बर 2011

http://hindi.indiawaterportal.org/node/36790

लोकस्वामी, 1 से 15 जुलाई, 2013

सुरेश चंद्र शर्मा, डॉ. सुभाष मित्रा, शंकर कुमार साहा 17 दिसम्बर 2011

डॉ. एस.पी.राय, डॉ. भीष्म कुमार, डॉ. सुधीर कुमार, पंकज गर्ग

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

पंचायती राज़ व्यवस्था तथा स्थानीय स्वशासन

राघवेन्द्र सरकार बोहरे
सहायक प्रध्यापक वाणिज्य
शा.कुसुम महाविद्यालय, सिंवनीमालवा

डॉ. अनिल शिवानी
विभागाध्यक्ष वाणिज्य
अटलबिहारी वाजपेयी
हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल

स्थानीय स्वशासन एतिहासिकता एवं प्राचीनता का स्पष्ट प्रमाण ऋग्वेद संहिता के पुरूपति शब्द से प्रगट होता है जिसका अर्थ किसी नगर के अध्यक्ष अथवा शासक से है। प्राचीन समय में धार्मिक स्थलों शिक्षा स्वच्छता सफाई स्वास्थ्य एवं न्याय व्यवस्था का संचालन करना भी इस स्थानीय निकायों का कार्य था। विश्व की सर्वप्रथम सभ्यता सिन्धु घाटी पर हुए अब तक के शोधों ने यह निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया है कि तत्कालीन सभ्यता को विकसित करने का श्रेय वर्तमान शहरी तथा स्थानीय निकायों जैसी संस्थाओं को ही था, जिसके नगर आयोजन का कौशल आज भी विद्यमान है। मैगस्थनीज ने भी चन्द्रगुप्त की राजधानी में इस प्रकार का उल्लेख किया है।

जब किसी शासन की शासन व्यवस्था वहां की स्थानीय संस्थाएं संभालती है तो उस शासन व्यवस्था 'स्थानीय स्वशासन' के नाम से पुकारते हैं। स्थानीय स्वशासित संस्थाएं प्रजातंत्र की पृष्ठभूमि है तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं निर्वहन करती है। सरकार के ऊंचे स्तरों पर बैठे पदाधिकारी निचले स्तर पर ग्रामों तथा शहरों की समस्याएं का निदान तथा विकास उतने अच्छे ढंग से नही कर सकते जितने कि निचले स्तर पर रहने वाले शहरी तथा ग्रामीणजन स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिये शासन के पदासीन अधिकारियों की तुलना में अधिक होना स्वाभाविक है। डॉ. सालविन के शब्दों में 'स्थानीय संस्थाओं' में राष्ट्र की शक्ति निहित है। एक राष्ट्र भले ही स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर ले, परन्तु स्थानीय संस्थाओं के बिना उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न नही हो सकती।

स्थानीय संस्थाएं लोकतंत्र की आधारभूत संस्थाएं होती है। जिसमें कि जनतांत्रिक शासन पद्धति को सफलतापूर्वक संचालित करने की शिक्षा मिलती है। अतः इसलिए स्थानीय निकायों को लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है।

एक अंग्रेजी लेखक के शब्दों में 'स्थानीय स्वशासन ही हमारी स्वतंत्रता तथा न्याय के सभी सिद्धान्तों का आधार है, इसी से 'संसदो की जननी' हमारे साम्राज्य के कार्य और अन्य राज्यों व राष्ट्रों का विकास हुआ है। लार्ड ब्राइस के मत से भी प्रजातंत्र की सफलता के लिये श्रेष्ठ विद्यालय है।

किसी भी देश के आर्थिक विकास व प्रजातंत्र पर आधारित शासन की नींव में वहां की स्थानीय शासन की संस्थाएं रही है। शहरी स्तर पर यदि नगरपालिकाएं और नगर निगम स्वशासी संस्थाएं हैं तो ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज की पृष्ठभूमि में 'ग्राम पंचायतें' ग्रामीण स्वशासी संस्थाएं हैं।

पंचायती राज की एतिहासिक पृष्ठभूमि–

प्रारंभिक ब्रिटिश भारत में केन्द्रीयकरण के परिणाम स्वरूप ग्रामों तथा शहरों की व्यवस्था बिगड़ न हो सकता कि वह इतने बड़े राष्ट्र स्थान विशेष की समस्याओं का समाधान कर सके। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने स्थानीय निकायों की महत्ता को स्वीकार किया। इस संदर्भ में सरजोशिया चाइनड़ का नाम उल्लेखनीय है। जिन्होने जेम्स द्वितीय से राजपत्र प्राप्त कर ब्रिटेन की तरह मद्रास में स्थानीय टाउन की स्थापना की तथा जिसका उद्घाटन 1688 में हुआ।

पूर्वकालिक अभिलेखों से यह पता चलता है कि संपूर्ण सागर तथा नर्मदा क्षेत्र में एक प्रकार का स्थानीय शासन विद्यमान था जिसका स्वरूप और ढांचा लगभग समान था जिसका स्वरूप और ढांचा लगभग समान था। यह एक छोटा सा ग्रामीण स्वशासी निकाय था। जिसका अपना स्वयं का संगठन और शासन था। इसके पास अहतकारी तथा व्यापारियों छोटा सा वर्ग था। राज्य के तत्कालीन अभिलेखों में उसकी कार्यप्रणाली विशेष कर न्यायिक क्षेत्र की कार्य प्रणाली के संबंध में विस्तृत विवरण मिलता है। सर रिचर्ड टेम्पल मध्य प्रान्त के उत्तरी भाग में ऐसे निकायों के अस्तित्व को स्वीकार करती है। भारत में वैदिक कला से स्वशासी व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण शासन की इकाई का नियंत्रण पंचायतों के अधीन रहता है। प्राचीन भारत में स्थानीय ग्राम स्वशासी संस्थाएं बहुत सी विकसित रही है। भारत के पुरातत्व इतिहास से मालूम होता है कि ग्रामों की स्थिति बहुत सुधरी हुई थी तथा प्रत्येक ग्रामीण जनता की आंतरिक व्यवस्था हर प्रकार से सुदृढ़ थी तथा किसी भी शासन व्यवस्था में उनके अधिकारों का हनन नही किया था।

भारत अतीत काल में ग्राम पंचायतों का जनक रहा है, इसका उल्लेख हमें वेदों, जातकों, धर्मसूत्रों, महाभारत, मनुस्मृति, शुक्रनीति सार तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। उस समय 'समिति नाम

की एक सार्वजनिक संस्था होती थी। महाकवि वाल्मीकि ने भी जनपद का उल्लेख किया है। ग्राम संघों तथा ग्रामसभा का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कौटिल्य काल में ग्रामों का विकास हुआ और उन्हें नगरों के साथ संबंध किया गया तथा ग्रामों के विकास की सुविधायें दी जाती रही।

. गुप्तकला और उसके बाद ग्रामसभा (पंचायतों का) प्रभुत्व बढ़ गया था तथा इन्हें स्वायतत्ता भी थी। उन संस्थाओं का चुनाव भी होने लगा था ग्राम स्तर पर समितियां भी बनाई जाने लगी थी तथा जाति प्रथा को विशेष स्थान नही होता था। मैगस्थनीज और शिलालेखों में उस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि भारत में राजतंत्रीय तथा गणतंत्रीय संस्थायें विद्यमान थीं।

भारत की परिस्थितियां समस्यायें सभ्यता और संस्कृति पश्चिमी देशों से बिलकुल भिन्न है। अतः यहां का अर्थशास्त्र भी भिन्न होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है, कि अर्थव्यवस्था का विकेन्द्रीकरण कर उसे ग्रामोन्मुख बनाया जाए तभी भारत के गांवो में रहने वाली 80 प्रतिशत आबादी का पुनरूद्धार संभव है। जब भारत के गांव आत्मनिर्भर व स्वावलंबी नही होंगे तब तक हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी नही मिलेगी और न ही भारत की आर्थिक विषमता को समाप्त किया जा सकेगा।

ग्राम विकास एवं सामाजिक पुनर्निर्माण के प्रति गांधीजी का दृष्टिकोण आदर्शवादी उपागम के रूप में भी उभारा गया है। इसके अंतर्गत भौतिक दशाओं के साथ–साथ नैतिक मूल्यों को प्रधानता दी गई है। गांधीजी का आदर्श सामाजिक स्वरूप है, "रामराज्य का मॉडल"। रामराज्य गांधीजी के शब्दों में नैतिक सत्ता पर आधारित स्वायत्ता है। इसमें ग्राम विकास के आधारभूत तत्व हैं– आदर्श ग्राम, विकेन्द्रीकरण, औद्योगीकरण, ट्राप्टीशिप, आत्मनिर्भरता। रामराज्य के मॉडल में गांधीजी प्रत्येक गांव को आदर्श गांव बनाना चाहते थे। वह चाहते थे कि प्रत्येक गांव में पंचायत का राज हो और उसके पास पूरी सत्ता और ताकत हो।

ग्रामीण विकास की अवधारणा जटिल और बहुआयामी है। बहुआयामी उपागम के रूप में विकसित पर इसके विभिन्न पहलू जैसे बहुक्षेत्रीय, बहुवर्गीय, बहुस्तरीय, बहुअभिकरणीय आदि उभरकर सामने आते हैं। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रत्येक विकासशील राष्ट्र बहुआयामी समस्याओं से ग्रस्त रहता है, जनता गरीब तथा जनसंख्या का बाहुल्य होता है। अधिकतम जनसंख्या का भाग कृषि आश्रित होता है। प्राकृतिक संपदा का पूर्ण दोहन नही हो पाता है, उत्पादन की कमी रहती है, साथ ही विदेशी मुद्रा की कमी के साथ–साथ मुद्रा प्रसार की स्थिति रहती है।

स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय गांवों में रहने वाली अधिकांश जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक दशा बड़ी ही सोचनीय थी उसकी ऐसी समस्यायें थीं जिनका कि तात्कालिक समाधान आवश्यक था उन दिनों सहकारी व गैर सहकारी संस्थाओं द्वारा छुटपुट व असमिन्नत प्रयत्न किए जाते थे, जिससे ग्रामों

व ग्रामीण जनता में कोई सुधार नही हो सका। देश में कृषि प्रधानता होने के कारण देश की जनसंख्या का लगभग 80: भाग गांवो में निवास करता है। यद्यपि हमारे देश का प्रमुख व्यवसाय कृषि है परंतु फिर भी भारत के निवासी निर्धनता बेकारी एवं ऋणग्रस्तता में जीवनयापन करते हैं। खाद्य समस्या एक दानव के रूप में निवासियों के समक्ष उपस्थित रहती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार "सामुदायिक विकास वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें समुदायों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में सुधार करने तथा राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए तथा इन समुदायों को सनर्थ करने के लिए जनता के प्रयत्न स्वयं सरकारी प्रयत्नों से समन्वित हो जाते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामीण समस्याओं में बहुमुखी समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक आयोजनाऐं प्रारंभ की गई हैं। सामुदायिक विकास गांव की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दशा में सुधारने का ढंग है। सामुदायिक योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्र में विकास के लिए स्थानीय एवं सरकारी प्रयत्नों में समन्वय व सामंजस्य स्थापित किया जाता है तथा स्थानीय प्रयत्नों को इसमें विशेष स्थान प्राप्त होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सरकार तथा ग्रामीण जनता में देश के बहुमुखी विकास के लिए एक संयुक्त प्रयास है। पं. जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में "मैं सफलता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में विश्व में किसी देश में कोई उतनी महत्वपूर्ण घटना नही हुई है। जितनी कि भारत में सामुदायिक विकास का शुभारंभ। योजना आयोग के शब्दों में "सामुदायिक योजनायें ग्रामों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में कायापलट करने की योजनायें हैं और ग्राम विकास सेवा इस उददेश्य को प्राप्त करने का एक साधन है।"

मध्यप्रदेश का गठन 01 नवम्बर 1956 को तत्कालीन महाकौशल, छत्तीसगढ़, मध्यभारत, भोपाल, विन्ध यप्रदेश तथा राजस्थान की उपसंभाग सिरोंज को मिलाकर किया गया। विभिन्न घटकों में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पृथक–पृथक कानून / व्यवस्थाएं प्रचलित थी। प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाने की दृष्टि से समय–समय पर आवश्यक संशोधन कर वर्ष 1981 तथा 1990 में नए पंचायत अधिनियम बनाए गए। भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप प्रदेश में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) दिनांक 25 जनवरी 1994 से लागू किया गया है।

राज्य सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं के दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई गतिविधियो एवं दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन स्वतंत्र पंचायत राज संचालनालय के गठन का निर्णय दिनांक 06 दिसम्बर 2007 को लिया। यह संचालनालय 1 अप्रैल 2008 से कार्यरत है। आयुक्त पंचायती राज के प्रशासकीय नियंत्रण में जिला स्तर पर जितला पंचायत के मुख्य

कार्यपालन अधिकारी कार्यरत हैं। इनके अधीन पंचायत प्रकोष्ठ अधिकारी कार्यरत है। विकासखंड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव कार्यरत हैं।

पंचायत विभाग में प्रशासकीय नियंत्रण एवं नियमन के लिए राज्य मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, उपसचिव, अवर सचिव तथा अन्य अमला कार्यरत है। यह अमला विभाग की नीतियों के निर्धारण तथा नियमन का कार्य करता है। संचालनालय स्तर पर आयुक्त अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उपसंचालक, सहायक संचालक एवं अन्य अमला कार्यरत है। यह अमला विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ–साथ मैदानी अमले पर भी प्रशासकीय नियंत्रण रखता है।

यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रत्येक विकासशील राष्ट्र बहुआयामी समस्याओं से ग्रस्त रहता है, जनता गरीब तथा जनसंख्या का बाहुल्य होता है। अधिकतम जनसंख्या का भाग कृषि आधारित होता है। प्राकृतिक संपदा का पूर्ण दोहन नही हो पाता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामीण समस्याओं में बहुमुखी समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक अयोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। सामुदायिक विकास, गांव की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा में सुधारने का ढंग है। सामुदायिक योजनाओं के अंतर्गत, राष्ट्र में विकास के लिए स्थानीय एवं सरकारी प्रयत्नों में समन्वय व सामंजस्य स्थापित किया जाता है तथा स्थानीय प्रयत्नों को इसमें विशेष कार्यक्रम, सरकार तथा ग्रामीण जनता मे देश के बहुमुखी विकास के लिए एक संयुक्त प्रयास है।

भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सफल बनाने, विकास योजनाओं को मूर्तरूप दिया जाकर लोकतंत्रीय ग्रामीण स्थानीय व्यवस्था और जनभागीदारी को सुदृढ़ करना, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन अनुश्रवण एवं प्रबंधन के बारे में पदाधिकारियों को समुचित मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण देना एवं पंचायातों को उनके अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों को परिचित कराकर प्रदेश में ग्रामीण विकास त्वरित गति से हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1वैदिक अर्थव्यवस्थाअमित आलोक

2राजस्व–पब्लिक फाइनेंसडॉ. ए.पी. गौड

3म.प्र. एक भौगोलिक अध्ययनप्रमिला कुमार

4 ग्रामीण समाज व्यवस्था बी.पी. गौतम

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

अपशिष्ट से ऊर्जा बनाम् नदियों का संरक्षण

डॉ. प्रीति आनंद उदयपुरे
सहा.प्राध्यापक (वाणिज्य)
शा.नर्मदा महाविद्यालय
होशंगाबाद (म.प्र.)

डॉ.दिनेश श्रीवास्तव
वाणिज्य विभाग
शा.नर्मदा महाविद्यालय
होशंगाबाद (म.प्र.)

एक नवीनतम अनुमान के अनुसार भारत की शहरी आबादी द्वारा लगभग 55 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट (1.15 लाख टन प्रतिदिन) और 6000 मिलियन क्यूबिक मीटर तरल अपशिष्ट प्रतिवर्ष उत्पन्न होता है। यह अपशिष्ट उचित प्रबंधन के अभाव में शहरी नालियों और नालों से होता हुआ स्थानीय नदियों में मिल जाता है जिससे देश की नदियों में प्रदूषण की समस्या विकराल होती जा रही है। शहरी अपशिष्ट का प्रबंधन हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। यह चुनौती इसकी बड़ी मात्रा के कारण नहीं बल्कि इसके फैलाव और संग्रह, परिवहन और निपटान की प्रणाली स्थापित करने में आने वाली अनेक समस्याओं के कारण है। अनुमान है कि भारत में शहरी अपशिष्ट की मात्रा में प्रतिवर्ष 1 से 1.33 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। शहरी अपशिष्ट की इस मात्रा से देश में 1700 मेगावॉट से अधिक विद्युत उत्पादन की संभावना है।

अपशिष्ट एक पदार्थ है जो अनुपयुक्त स्थानों पर अव्यवस्थित होता है। वर्तमान समय में अधिकांश अपशिष्ट पदार्थ अमितव्ययी रूप में उपयोग या पुनःउपयोग किये जाते हैं या फिर पूर्ण रूप से उपयोग अथवा उपचारित किये बिना छोड़ दिये जाते हैं, जिससे मानवीय वातावरण के लिये अत्यधिक संकट उत्पन्न हो जाता है। कालांतर में यह अपशिष्ट वर्षाजल की सहायता से नाली–नालों से होते हुए नदियों के प्रदूषण के प्रमुख कारक बनते हैं।

अपशिष्ट के नकारात्मक प्रभाव –

1. एक स्थान पर एकत्रित अपशिष्ट पदार्थों से विभिन्न प्रकार के रोगाणु, कीड़े–मकोड़े, मच्छर, मक्खी एवं परजीवी विकसित होते हैं, जो अनेक प्रकार के रोग– हैजा, प्लेग, मलेरिया, डायरिया,

चर्मरोग आदि उत्पन्न करते हैं।

2. पॉलीथीन, प्लास्टिक, रबड़ आदि अपशिष्ट पदार्थों को जलाने से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है।

3. अपशिष्ट पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ – कांच, प्लास्टिक, लोहा, थर्मोकोल, टीन आदि के टुकड़े शामिल होते हैं, जो मिट्टी में मिलकर मिट्टी की उर्वरता को कम कर देते हैं तथा मृदा प्रदूषण भी करते हैं।

4. वर्षा का जल पड़ने पर अपशिष्ट पदार्थों का जल / मल आदि निस्तारित होकर नदियों, तालाबों, झीलों एवं अन्य जल स्त्रोतों से मिलकर इन्हें प्रदूषित करता है। यह जल उपयोग करने के लिये उपयुक्त नहीं होता है।

अपशिष्ट के प्रकार –

जनसंख्या में वृद्धि, शहरों की ओर पलायन और रहन–सहन के स्तर में वृद्धि का शहरी अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि और अपशिष्ट के विभिन्न प्रकार उत्सर्जित करने में विशेष योगदान है। अपशिष्ट को मुख्य रूप से अग्र प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है –

1. शहरी अपशिष्ट (न्तइंद ॅंजम)
2. औद्योगिक अपशिष्ट (प्दकनेजतपंस ॅंजम)
3. जैव अपशिष्ट (ठपवउें ॅंजम)
4. जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (ठपवउमकपबंस ॅंजम)

शहरी अपशिष्टों का संघटन –

वर्तमान में पैकेजिंग सामग्री (पन्नी, कागज, प्लास्टिक बैग) के बढ़ते उपयोग के कारण शहरी अपशिष्टों का संघटन तेजी से बदल रहा है। ठोस अपशिष्ट के अतिरिक्त गोबर, सब्जी बाजार का अपशिष्ट और बूचड़खाने का अपशिष्ट भी शहरी क्षेत्रों में अलग–अलग पाया जाता है।

प्रौद्योगिकी विकल्प –

अपशिष्ट पदार्थ का कार्बनिक घटक उपयोगी उत्पादों में बदला जा सकता है तथा पुनः उपयोग में आने वाली सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। शहरी ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति की प्रौद्योगिकियों में जैव विज्ञानी और तापीय प्रक्रियाएं शामिल हैं।

जैव विज्ञानी विधि में मीथेन–युक्त बायोगैस उत्पादन के लिये अपशिष्ट के जैव निम्नीकरणीय हिस्से का "बायोमेथेनेशन" शामिल है, जिसे बिजली उत्पादन के लिये ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

तापीय विधि में ईंधन के रूप में कार्बनिक अपशिष्ट का दहन शामिल है जिससे बिजली उत्पादन

के लिये ऊष्मा मिलती है। तापीय रूपांतरण में ऑक्सीजन की सीमित मात्रा के साथ (गैसीकरण) अथवा आक्सीजन के बिना (पायरोलिसिस) कार्बनिक सामग्री को नष्ट करने के लिये गर्म करना शामिल है जिसमें सादे हाइड्रो–कार्बन और हाइड्रोजन का दहन योग्य गैसीय मिश्रण बनता है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति हेतु परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उपलब्ध सभी प्रौद्योगिकी विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में वाष्पीकरण और बायोमेथेनेशन सर्वाधिक सामान्य प्रौद्योगिकियां हैं, जबकि पायरोलिसिस और गैसीकरण प्रौद्योगिकियां भी तेजी से उभर रही हैं। इन प्रौद्योगिकियों से ऊर्जा को बायोगैस, ताप और अथवा/ विद्युत के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति के लाभ –

यदि स्थानीय स्तर पर अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति के प्रयास किये जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि स्थानीय नदियॉ प्रदूषण से मुक्त हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति के मुख्य लाभों में सुरक्षित निपटान हेतु 60 से 90 प्रतिशत तक अपशिष्ट की मात्रा में कमी लाना, दूर तक अपशिष्ट को ले जाने हेतु लागत के साथ–साथ भूमि की मांग में कमी और ऊर्जा की काफी मात्रा के उत्पादन के अलावा पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी करना है।

शहरी अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति की संभावनाएं –

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमान के अनुसार देश में शहरी ठोस अपशिष्ट (डनदपबपचंस वसपक ंजम) से लगभग 1460 मेगावॉट और तरल अपशिष्ट (स्पुनपक ंजम) से लगभग 226 मेगावॉट ऊर्जा प्राप्ति की संभावना है। मध्यप्रदेश में शहरी ठोस अपशिष्ट (डनदपबपचंस वसपक ंजम) से लगभग 68 मेगावॉट और तरल अपशिष्ट (स्पुनपक ंजम) से लगभग 10 मेगावॉट ऊर्जा प्राप्ति की संभावना है।

औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा–

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुमान के अनुसार देश में औद्योगिक अपशिष्ट से लगभग 1300 मेगावॉट ऊर्जा प्राप्ति की संभावना है, जिसके वर्ष 2017 तक लगभग 2000 मेगावॉट बढ़ जाने की संभावना है। इसके लिये सम्पूर्ण देश में 135 से भी अधिक परियोजनाएं विभिन्न डिस्टलरीज, पल्प एवं पेपर मिल्स, खाद्य प्रसंस्करण एवं स्टॉर्च उद्योगों में लगाई गई हैं। 31 जनवरी 2011 तक औद्योगिक अपशिष्टों पर आधारित 28.77 मेगावॉट की समग्र क्षमता के साथ कुल 11 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं।

संस्थापित क्षमता –

भारत में शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति की कुछ परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इन परियोजनाओं को ग्रिड अंतःक्रियात्मक और ऑफ ग्रिड/वितरित विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत रखा जा सकता है। देश में शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति की 1700 मेगावॉट की संभाव्यता के विरूद्ध अभी तक केवल 24 मेगावॉट की क्षमता ही प्राप्त की जा सकी है, जो कि कुल संभाव्यता की लगभग 1.5 प्रतिशत है। यह स्थिति ऊर्जा प्राप्ति के इस गैर–परम्परागत स्रोत को अन्य गैर–परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों की श्रंखला में सबसे पीछे धकेल देती हैं।

समस्याएं/चुनौतियां –

देश में अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति की तमाम संभावनाएं विद्यमान होने के बावजूद हम अपशिष्ट को ऊर्जा प्राप्ति के महत्वपूर्ण एवं स्थायी स्त्रोत के रूप में स्थापित नहीं कर सके हैं। इसके मूल में कुछ समस्याएं दृष्टि गोचर होती हैं, जिनका समाधान किये बिना ऊर्जा का यह नवीकरणीय स्त्रोत अपनी उपयोगिता को सिद्ध नहीं कर सकता। इन समस्याओं में से कुछ प्रमुख समस्याएं निम्न हैं –

1. अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति देश में एक नई अवधारणा है।
2. परियोजना की लागत, विशेषतः बायोमेथेनेशन प्रणाली पर आधारित परियोजना की लागत बहुत अधिक है, जो कि विषम उपकरणों के कारण है, जिन्हें आयात किये जाने की आवश्यकता होती है।
3. शहरी अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति से सम्बंधित अधिकांश प्रमाणित एवं वाणिज्यिक तकनीकें आयातित हैं।
4. नगर निगमों/स्थानीय शहरी निकायों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी है।
5. राज्य सरकारों के पास कूड़े–कचरे के निदान, मल निस्तारण, भूमि के आवंटन, विद्युत क्रय आदि से सम्बंधित प्रेरणात्मक मार्गदर्शी नीति का अभाव है।
6. शहरी ठोस अपशिष्ट नियम 2000 में नगर निगमों/स्थानीय शहरी निकायों को परियोजना स्थल पर अपशिष्ट उपलब्ध कराने से सम्बंधित पृथक से कोई नियम निर्धारित नहीं है, जिसके कारण परियोजना स्थल पर अपशिष्ट की अनुपलब्धता बढ़ती जाती है।

समाधान एवं निष्कर्ष –

शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट का प्रबंधन पूर्व से ही एक गंभीर समस्या रही है। यदि इस समस्या के समाधान हेतु उपयुक्त सावधानियां नहीं बरती गईं तो आने वाले समय में यह समस्या और भी विकराल होती जायेगी, जिसका परिणाम वायु, जल और भूमि के प्रदूषण के साथ–साथ नदियों के प्रदूषण और अंततः मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के रूप में सामने आयेगा। वर्तमान में जबकि हमारे पास अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति की तकनीकी प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं, हमें उन प्रौद्योगिकियों को

प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके लिये सरकारी आर्थिक सहायता और सुविधाओं के साथ–साथ जनजागरूकता एवं कठोर कानूनों का कड़ाई से पालन भी व्यवहार्य है।

आज, जबकि अनेक देश जीवाश्म ईंधनों की बढ़ती कीमतों एवं समाप्त होते भंडारों के कारण ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, अपशिष्ट, हमें भविष्य की ऊर्जा आपूर्ति का एक स्थायी समाधान प्रतीत होता है। अंततः, नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिये विशिष्ट स्थलों पर सार्वजनिक–निजी भागीदारी के द्वारा परियोजनाओं का क्रियान्वयन करके हमें न केवल अपशिष्ट के निदान की समस्या से हमेशा–हमेशा के लिये छुटकारा मिल सकता है बल्कि अनंत काल तक ऊर्जा की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण, शक्तिशाली एवं पर्यावरण हितैषी स्त्रोत भी हमारे पास विद्यमान हो सकता है।

संदर्भ –

1. वार्षिक प्रतिवेदन – नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय, भारत सरकार
2. वार्षिक प्रतिवेदन (2010–11) – म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि., भोपाल
3. अक्षय ऊर्जा – नई दिल्ली

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

निराला और नागार्जुन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में क्रान्ति के स्वर

डॉ. भावना शर्मा
अतिथि विद्वान (हिन्दी)
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
नरसिंहगढ राजगढ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' और बैधनाथ मिश्र 'नागार्जुन' ऐसे क्रान्तिकारी रचनाकार है। जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक विषमताओं के साथ विषद विषय–वस्तु को लेकर रचनायें करते है। ये कवि सदैव अंपनी वाणी से क्रांति की प्रेरणा देते रहे है। यह नवीन क्रांतिकारी विचारों के समर्थक है, फिर चाहे वह सामाजिक धार्मिक दार्शनिक भाषा या काव्य क्षेत्र में हो। निराला और नागार्जुन कवि है वह अपने साहित्य के जरिये जनता में जागरूकता पैदा करना चाहते है और इससे वह चूकते नहीं झिझकते नही उनकी कविताएँ क्रांति के स्वप्न और आकांक्षा को व्यंजित करते है, फिर क्रांति भी तभी आती है, जब वह विचारों से आये। विचारों के परिवर्तन ही वह परिवर्तन लाते हैं जो स्थायी होते है। इसलिये वे जन क्रांति की बाते करते है।

आधुनिक साहित्य में सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी कवियों में यदि किसी का नाम लिया जा सकता हे तो वे है महाकवि "निराला"। क्रांति की बाते क्रांति के कार्य ओर क्रांति के सिद्धान्तों का निर्वाह वही कर सकता है,जिसनें अपने जीवन में प्रत्यक्ष संघर्ष किया है। पढ़ा सुना जाने वाला संघर्ष और जीवन में झेला जाने वाल संघर्ष दोनों अलग –अलग है। पढ़ने सुनने वाले संघर्ष की बातें लिख सकते है संघर्ष झेलने में टिक नही सकते है। निराला का जीवन संघर्षो का जीवन है। वह प्रारम्भ से अन्त तक संघर्षो के गहन जगंल के बीच मार्ग निकाल पाने के लिए प्रयत्नशील रहें । सामाजिक, पारिवारिक धार्मिक, भाषा सभी क्षेत्रों के संघर्षो में वह प्रत्यक्ष रूप से उलझे बिना, किसी की परवाह किये हुये, उन्होंने सिद्धान्तों

का निर्वाह किया। काव्य के क्षेत्र में नवगीत, नवलय, नवताल, नवछन्द का आव्हान करते हैं ताकि वह स्वतन्त्र और स्वच्छंद उड़ान भर सके यही नहीं उन्होनें उस क्रांति के कदम को बेहिच्क उठाया । निराला की स्कूली शिक्षा का क्रम तो अधिक न चल सका परन्तु बंगला, अंग्रेजी, अवधी और संस्कृत का ज्ञान अपने स्वाध्याय से प्राप्त किया। निराला ने जीवनोंपयोगी सभी विषय का विशद अध्ययन किया। पत्नी के हिन्दी ज्ञान से प्रेरणा लेकर उस अहिन्दी भाषी क्षेत्र में कवि ने हिन्दी की पत्रिकाओं मर्यादा और सरस्वती को सहयोगी बनाया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को गुरू मानकर स्वाध्याय तथा कठिन परिश्रम से हिन्दी का ज्ञान प्राप्त किया जो किसी क्रांतिकारी कदम से कम न था। अपने दोनों बच्चों के विवाह में निराला ने सामजिक रूढ़ियों तथा प्रथाओं का विरोध किया । पहला उल्लंघन एक चुनौति था तो दूसरा समाज की दृष्टि में प्रशंसनीय लेकिन निराला के आलोचक्को की संख्या ही अधिक थी। संघर्ष ओर विरोध उनके जीवन तथा साहित्य में गतिरोध लाने की अपेक्षा नई गति ही देता आया है। संघर्ष से ही विकास होता भी है। निराला के व्यक्तित्व का विकास इन संघर्षो ने ही किया है। शत–शत् विरोधों ओर आलोचनाओं के बीच ही निराला के काव्य में औदात्य संचय में प्रकारान्तर में सहायता ही पहुँचाई है।

आधुनिक हिन्दी साहित्य में प्रगतिशील चेतना के कर्णधार सामाजिक चिन्तन धारा, मानवीय करूणा विद्रोही चेतना, महान व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय भावना का शंखनाद कर छायावादी रोमांटिक कल्पना के व्यक्तित्व चिन्तन को मानवीय मूल्यों के हिमालयीन शिखर तक पहुँचाने वाले हिन्दी काव्य साहित्य में 'बाबा' के नाम से विख्यात क्रांतिकारी प्रतिभा सम्पन्न शिरोमणि युग पुरोधा तथा प्रगतिशील कवि कथाकार एवं मिथिला की माटी के अनमोल रत्न नागर्जुन भी आजीवन निराला की तरह आजीविका की समस्या से ग्रस्त रहे कही टिककर कार्य नही कर सके । आप आजादी के पहले भी एवं आजादी के बाद भी आमजन के लिये संघर्ष करते रहे। बाबा नागार्जुन ऐसे साहित्कार है जो आभावों में ही जन्में हैं । पीड़ित वर्ग के कष्टों को इन्होंने स्वंय झेला है। निःसंदेह ऐसा व्यक्ति ही भारत की निम्न वर्गीय जनता का सच्चा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व कर सकता है। देश की स्वतन्त्रता और खुशहाली के लिय उच्च स्वर में आव्हान उनके काव्य में मिलता है। नागार्जुन आजीवन यात्री रहे समस्त पारिवारिक बंधन पत्नी पर छोड़ आपकी जेल यात्राऐं आजादी के बाद भी अनवरत जारी रही। आपने जीवन में कभी कोई बंधन स्वीकार नही किया कोई दबाव नही माना ओर आजीवन आर्थिक कष्ट झेलते रहे।

सच्चा साहित्यकार वही होता है जो अपने समय को पहचानता है एऔर तत्कालीन समाज में फैली गंदगी को दूर करने के लिए ही क्रांतिकारी साहित्य की रचना करता है। निराला वास्तव में ऐसे

कवि थे जिन्होंने अपने साहित्य के द्वारा समाज को नई दिशा, नई चेतना, नया साहस और बल देने की चेष्टा की यह दूसरी बात है कि उनके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने वाले कम थे फिर जो समाज के ठेकेदारों को बुरा भला कहे उसे समाज की सहायता कैसे मिल सकती थी। निराला क्रांतिकारी कवि है । उनकी क्रांति का उद्देश्य सामाजिक जीवन में भौतिक परिवर्तन करना है। निराला समाज और उसकी तत्कालीन परिस्थितियों से मुँह मोड़कर साहित्य रचना नही करते, अपितु समय के अनुसार तन मन से नवजागरण का सन्देश साहित्य के माध्यम से दे रहे थे। निराला का काव्य आरम्भ से ही सामाजिक क्षेत्रों से सम्बन्धित रहा है।

कवि ने एक चित्र उस भिखारी का अंकित किया है जो सूखे अधरों और भूखे पेट के साथ दीन चितवन से सबको निहार रहा है। मुट्ठी भर हड्डी का वह नर वास्तव में करोड़ों लोगों की दुर्दशा का प्रतीक है:–

"वेश रूखे अधर सूखे
पेट भूखे आज आये
हीन जीवन दीन–चितवन
क्षीण आलम्बन बनाये" {परिमल}

कुकुरमुत्ता तो बीसवीं सदी का सबसे बड़ा व्यंग्य है। विपन्न और तिरस्कृत मानवता की आवाज है एएवं छोटों का आत्मबोध है। कुकुरमुत्ता संसार के उपेक्षितों का प्रतीक और दोनों के प्रति निराला का काव्यदान है। यह कौन नही जानता की सारे संसार की स्थिति सामान्य मानवता के बल पर जीवित है । पर उसका जो अपमान आज के व्यावसायिक विश्व ने किया वह पहले कभी नही हुआ–

"बाग के बाहर खड़े थे झोपड़े
दूर से दिख रहे थे अध खड़े"

यह गगन चुंबी अट्टालिकाओं में विचरते कुबेर पुत्र का मान – मर्दन करते हुये उनको फटकारने से भी नही चूके–

"आया मौसम खिला फारस का गुलाब
बाग पर उसका बड़ा था रोबो दाब
वही गंदे में ऊगा देता हुआ कुत्ता
पहाड़ी ले उठे सिर ऐंठकर बोला कुकुरमुत्ता
अबे सुन वे गुलाब"

प्रगतिशील चेतना के कवि नागार्जुन का समूचा रचना संसार जन –जीवन की धड़कनों से जुड़ा

है। नागार्जुन की रचनाओं में आम जनता के दुख दर्द का यर्थाथ चित्रण हुआ है। नागार्जुन की कविता में विशेषकर ग्रामीण जनता की कारूणिक तथा मार्मिक वेदना की यर्थाथ अभिव्यक्ति है। इस विषय में वे यर्थाथ लोक चेतना के सच्चे गायक और विद्रोही कवि है।

वह जहाँ जन–जन की पीड़ा के सच्चे गायक हैं वही व्यंग्य की तीखी मार से समाज व समाज के ठेकेदारो पर सीधा प्रहार करते है। यह उनके अन्दर की वह भारतीय ग्राम्य चेतना जो कवि को किसी वाद की सीमा से परे करती है। नागार्जुन की कविता महानगरों की व्यस्त जीवन शैली ओर विसंगतियों के साथ किसानों के खेतों तथा मजदूरों व शोषितो के घरो तक पहुँच गयी है। नागार्जुन ने सामाजिक जीवन का अत्यंत गहन अध्ययन किया हैं और उसका यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया हैं 'तथा नाम यथा गुण' कहावत को चरितार्थ करते हुये अपने नाम के ही अनुरूप नागार्जुन हिन्दी साहित्य जगत में क्रांति लेकर आये–

"तन जर्जर है भूख प्यास से
व्यक्ति–व्यक्ति दुख दैन्य से ग्रस्त है"

समाजिक जीवन दर्शन के सम्पोषक होने के नाते नागार्जुन की कविता गरीब शोषित भूख से त्रस्त जनता का यथार्थ में चित्रण है–

" कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास
कई दिनो तक कानी कुतिया सोई न उसके पास
कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त
कई दिनों तक चूल्हें की भी हालत रही शिकस्त "

जमींदारों के शोषण के विरूद्ध लिखते हुये वे कहते है –

" बीज नही बैल नही बरखा बिन अकुलाते है
नहर रेट बढ़ गया खेत में पानी पटाते है
नही खेत में कनका भर भी दाना उपजा पाते है
पिछला कर्ज चुका न सके साहू की झिड़की खाते है।

वही निराला लिखते है–

" जमींदार की बनी महाजन धनी हुये
जग के मूर्ति पिचास धूर्तगण गनी हुए "

नागार्जुन का कवि मानता है कि जब तक पूँजीपति जमींदार व व्यापारी है तब तक न्याय नही हो सकता

" जमींदार है साहूकार है बनिया है व्यापारी है
अन्दर अन्दर विकट कसाई बाहर खद्दर धारी है
सब घुस आये भरा पड़ा हे भारत माता का मन्दिर
एक बार जो फिसले अगुआ फिसल रहे हैं फिर–फिर"

निराला आम जन से अपनी दुर्बलताओं पर काबू पाने को कहता है क्योंकि वह मानता है कि संसार में सिर्फ योग्य जन जीता है–

" योग्य जन जीता है
पश्चिम की उक्ति नहीं
गीता है गीता है ,
स्मरण करो बार – बार
जागो फिर एक बार "

समाज की अव्यवस्थाओं रूढियों के प्रति आक्रोश इन कवियों के मन में है ,परन्तु आने वाले समय पर विश्वास रखते है तभी तो निराला कहते है–

" जल्द जल्द पैर बढ़ाओं आओं
आज अमीरों की हवेली
किसानों की होगी पाठशाला "

नागार्जुन लिखते है –

" यो हि गुजरेगें हमेशा नही दिन
बेबसी मे ही खिझ में घुटन में उबो में
आयेगी वापस हरियालिया
घिसी–पिटी झुलसी हुई दुबो में "

निराला साम्यवादी कवि है जो प्रगतिवाद से प्रयोगवाद तक आते है , उन पर मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट है। समाज का निम्न वर्ग साम्यवादी विचारधारा में विशेष सहानुभूति का पात्र माना जाता है। मार्क्सवाद के साथ ही निराला पर वेदान्त दर्शन का प्रभाव भी स्पष्ट है साथ ही उन पर रविन्द्र नाथ टेगौर,रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द,स्वामी प्रेमानन्द, महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव भी स्पष्ट है। लेकिन अपने परिवेश एवं वर्तमान घटनाओं का प्रभाव भी लगातार पड़ता रहा इतने प्रभाव होते हुऐ भी उनकी मौलिकता बराबर बनी रही।वही नागार्जुन पर मार्क्सवाद का प्रभाव तो स्पस्ट रूप से परिलक्षित होता है। आपका काव्य रचना का सफर पं सीताराम झा के सम्पर्क में शुरू हुआ। प्रेमचन्द,

निराला, कबीर, राहुल जी आपके प्रेरणा स्त्रोत रहे आपके रचना संसार में आपकी यात्राओं का अविस्मणीय योगदान रहा।

दोनों कवि अपने काव्य में धार्मिक आडम्बरों का विरोध करते भी दिखाई देते है। नागार्जुन अपनी"कविता काली माई में जनता के अंधविश्वास पर प्रहार करते है –

"कितना खून पिया है जाती नही खुमारी
सूर्ख और लम्बी हे मइया जीभ तुम्हारी "

अथवा

"कद्दु लोकी नहीं तुम्हें तो माँस चाहिए
यम से छीना झपटी में पूर्वांश चाहिए "

निराला उसी काली माई को श्यामा कहकर संबोधित करते है –

"एक बार बस और नाच तू श्यामा सामान सभी तैयार
कितने ही है असुर चाहिए कितने तुमको कर मेखला मुण्ड़मालाओं से बनमन ओमराम/हार"

अथवा

"लेगी खड्ग और तू खप्पर उसमें रूधिर भरूगाँ मॉ "

निराला शक्ति के उपासक है और नागार्जुन को किसी देवी देवता की उपासना की जरूरत नहीं है। वे जन शक्ति के उपासक है। वे धर्म की आड़ में हो रहे आड़म्बरों पर व्यंग्य करते है। निराला और नागार्जुन की धार्मिक मान्यताओं में काफी अन्तर है। दौनों ने धार्मिक रूढ़ियों की अवहेलना कर उन पर व्यंग्य तो किया है ,परन्तु नागार्जुन ने जहॉ धार्मिक रूढ़ियों पर व्यंग्य ही अधिक किया है वही निराला के काव्य में उनका रूप एक भक्त कवि का रूप भी है। वह शक्ति के उपासक है तथा माँ वीणावादिनी के चरणों में अपनी कांव्याजंली के पुष्प भी चढ़ाते है।

निराला के राजनैतिक विचार क्या है इस पर आसानी से निर्णय नही किया जा सकता लेकिन गाँधीवादियों पर व्यंग्य करते हुये लिखते है–

"गाँधीवादी आये
कॉग्रेस मेन ठेटे के
देर तक गाँधीवाद क्या है समझाते है"

नागार्जुन को तो राजनैतिक व्यंग्यों ने ही विशिष्ट पहचान दी है। नागार्जुन की कविता ठोस अर्थो में समकालीन रही है अपने समय में घट रही हर छोटी बड़ी घटना पर उनकी नजर थी। वह लिखते है –

" बेच –बेच कर गाँधी जी का नाम
वोटरों वोट बैंक बैलेंस बढ़ाओं
राजघाट पर बापू की वेदी के आगे"

निराला और नागार्जुन दोनो पीड़ित वर्ग के पक्षधर बनकर साहित्य में उपस्थित हुये ,समस्त जीवन आज आभावों का आसव पान करते उच्च वर्ग का शोषण झेलकर सामाजिक परिस्थितियों और यातनाओं को समझ चुके है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में पराजित होना निराला ने स्वीकार किया न नागार्जुन ने दोनों जीवन भर तकलीफ झेलते रहे, परन्तु थके नही हारे नही झुके नही उनकी रचनाओं पर उनके जीवन के यह प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शर्मा रामविलास — निराला की शक्ति पूजा
2. त्रिपाठी सूर्यकांत — अनामिका
3. निराला — परिमल
4. सिंह बच्चन — क्रांतिकारी कवि निराला
5. शर्मा रामविलास — निराला
6. भट्ट प्रकाश चन्द्र — नागार्जुन जीवन और साहित्य
7. निराला — राग विराग
8. मिश्र शोभाकान्त — नागार्जुन चुनी हुई रचनाएँ
9. वाजपयी आचार्य नन्ददुलारे — कवि निराला
10. सिंह डॉ.विजय बाहदुर — नागार्जुन का रचना संसार

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

भारतीय समाज में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(रायसेन जिले के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. विनोद कुमार अहिरवार
समाजशास्त्र विभाग
शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, जेल रोड, विदिशा

जातिवाद हिन्दु की एक विलक्षण संस्था है, वह संस्था एक ही धर्म को माने वालों को विभिन्न वर्गो में विभाजित करती है। इस संस्था ने हिन्दु जनमत को इतना प्रभावित किया है कि उससे मुक्ति पाना यदि असम्भव नही तो, कठिन अवश्य है यह एक ऐसी संस्था है जो हमारे चरित्र की संकर अवस्था उत्पन्न करती है। यह जीवन्त संस्था भी है। इसका तात्पर्य यह है कि यह हजारों वर्ष से हमारे समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। इसको लेकर राज्य शक्ति, एवं संत शक्ति में संघर्ष चलता रहा है। अलग अलग समय में कभी संतो ने विरोध किया तो किसी ने समर्थन। जबकि राजशक्ति ने प्रत्येक समय किसी न किसी प्रकार से इसे बनाये रखने में ही अपना लाभ समझा एवं राजशक्ति के पक्ष में इस व्यवस्था का उपयोग भी किया। शब्दार्थ की दृष्टि से जाति आस्तित्व का वह प्रकार है जिसका निर्धारण जन्म से होता है एक वंशानुक्रम से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों की जाति एक होती है। शास्त्रीय दृष्टि से जाति परिभाषा करना कठिन है। इनसाइक्लोपीडिया, बिटेतिवा जाति को विवाह व्यवसाय एवं वंशानुक्रम से पहचानने की सलाह दी है। जबकि "रिजले" के अनुसार जाति परिवारों का एक समूह जिसका एक समान नाम होता है समान वंशानुक्रम एवं समूह में विवाह होते है। डॉ. एन. के. दत्त डॉ. धुरिये ने विवाह, समान नाम एवं समान उत्पत्ती को ही जाति के मुख्य लक्षण मानते है। प्रसिद्ध समाज शास्त्रीय मजूमदार एवचं मदान जाति को बंद वर्ग की संज्ञा देते है।

हमारा धर्मग्रंथ अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते है जहाँ गुणों को आधार पर वर्ण को स्वीकार किया गया हैं जबकि जन्म के आधार को वर्ण से नहीं जोड़ा गया। ऐसे धार्मिक ग्रन्थों में महाभारत, भागवतगीत, ऋगवद, एवं शंकराचार्य ब्राहाम्ण को सम्मलित किया जा सकता है। भारतीय दर्शन में गुणों को विकास किया जाता है, कि समस्त विश्व तीन गुणों से मिलकर बना है। यह गुण है सत्य, रज एवं तम तीनों गुण विभिन्न प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सत्य गुण शुद्धता ज्ञान एवं सत्य का

प्रतीक हैं, जबकि रजों गुण क्रिण प्रधान हैं और तमों गुण अज्ञान आलस्य एवं दरिद्रता का प्रतीक है हमारे सभी धर्म ग्रन्थों में ब्राहम्ण, क्षत्रीय एवं शुद्ध में कमानुसार यही गुण बतलायें हैं।

आधुनिक गुण में जाति के समान ही वर्ग का प्रभुत्व भी सामने आया है क्योंकि जाति के समान ही वर्ग भी परिवारों का समूह होता है, प्रश्न यह उठता है कि जाति एवं वर्ग में क्या भेद हैं। इस संदर्भ में प्लोटों ने वर्ग की व्याख्या करते हुये लिखा है कि समान प्रवृत्ति के लोगों का एक वर्ग होता हैं। अतः वर्ग का निर्धारण प्रवृत्ति के आधार पर करना चाहियें। कार्ल मार्क्स में बर्ग का आधार आर्थिक माना हैं। उनका कहना है कि जीविकोंपार्जन के लिये जो सदस्य एक सम्मान कार्य करते हैं वे एक वर्ग के होते हैं। वर्ग की एक विशेषता यह है कि किसी भी व्यक्ति का वर्ग परिवर्तित हो सकता है जबकि किसी व्यक्ति की जाति नही बदल सकती है जाति जन्म से प्राप्त होती है, जबकि वर्ग के मनुष्य स्वंय प्राप्त कर सकता हैं। एक वर्ग का व्यक्ति जब दूसरी जाति में विवाह करता है तो उसे सामाजिक मानयता नहीं मिलती हैं। इस प्रकार जातिगत संकरण के आधार पर सामाजिक विभाजन दोनों पृथक पृथक अवध ाारणायें हैं। जाति के आधार पर उच्च एवं निम्न स्थिर की भावना सदैव विद्ववान रहती हैं। एक जाति के सदस्य स्वयं को दूसरी जाति से सदस्यों से उच्च समझते हैं। इसके विपरीत यह भी सत्य हैं कि एक जाति के सदस्य स्वयं को किसी जाति से निम्न समझते है। यदि समाज के सदस्यों के मन में यह उच्चता एवं निम्नता की भावना समाप्त हो जाये तो जाति वाद का आधार भी समाप्त हो जायेगा, लेकिन इतिहास बताता है कि यह असंभव हैं कारण यह हैं कि जाति व्यवस्था सामाजिक के संग ध ार्मिक आस्थायों से भी संबंध रखती है।

जाति की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रचलन में है लेकिन प्रमुख रुप से इन सिंद्धांतों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं पहले वर्ग में उन सिद्धांतों को रखा जा सकता है जो जाति संरचना का आधार ईश्वरीय मानते है। दूसरे वर्ग में हम उन सिंद्धांतों से सम्मलित कर सकते है जिनकी मान्यता है कि जाति व्यवस्था सापेक्षिक का अवधारणा हैं जिसका क्रमिक विकास हुआ है। पहले वर्ग में सिंद्धातों पर विश्वास करने वाले के तर्को के आधार वेद पुराण एवं महाकाव्य एवं स्तुतियाँ हैं। इस सिद्धांत पर विश्वास करने वाले विद्धावनों का मानना है कि परम पिता के मुख से ब्राहाम्ण का जन्म हुआ हैं। भुजाओं से क्षत्रिय जॉघों से वैश्य एवं चरणों से शूद्र उत्पन्न हुयें हैं। सतपथ ब्राहाम्ण ने कहा गया है कि जब प्रजापति ने भू:तों ब्राहाम्ण उत्पन्न हुयें। भूवः ' कहा तो क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई और सवाहा कहा तो शूद्र की उत्पत्ति हुई । भागवत पुराण में भी ईश्वर को विभिन्न जाति का सृजन करने वाला माना गया हैं। मनु स्तुति के अनुसार ब्रामहा के मुख से ब्राहाम्ण उत्पन्न हुयें भुजाओं से क्षत्रिय एवं जॉघों से वैश्य एवं चरणों से शूद्र उत्पन्न हुयें। भागवत गीता से चौथे अध्याय में कृष्ण ने स्वयं कहा

है कि उन्होंने गुण एवं कर्मों के अनुसार चार वर्णो को उत्पन्न किया है। इस प्रकार हम देखते है कि हिन्दु धर्म ग्रन्थों में जाति की उत्पत्ति को ईश्वर प्रदत्त माना गया हैं, किन्तु इस सिंद्धात पर मुख्य दोष यह है कि इसमें जाति एंव वर्ण को एक साथ मिला दिया गा हैं। इसी कारण सामाजिक वैज्ञानिकों को यह सिद्धात स्वीकार्य नही है।

दूसरे वर्ग के सिंद्धातों में विश्वास करने वाले समाज शास्त्रीय यह मानते है कि जाति व्यवस्था प्रचीन नही है। यह सापेक्षिक रुप से नया है। उनका यह भी मानना है कि जाति व्यवस्था कि उत्पत्ति उन्ही तत्वों से हुई हैं जो तात्कालिक समाज की सूचना करते है। अथवा जिनसें समाज का विकास हुआ है। उनकी प्रचीनता के बारे में यही कहा जा सकता है। कि यह वैदिक काल में उपलब्ध में नही था। ऋग्वेद 10 वें मंडल के जिस सूत्र को जातिवाद के समर्थन में लिया जाता हैं वह मेरे विचार से मनुष्यों के विभाजन की व्याख्या है। यह जाति व्यवस्था का नही वरन हिन्दु समाज की पृथक स्वरुप का वर्णन करता है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि जिस परमपिता के चरणों को धोकर पीने से हमें गर्व होता है। उसके ही पैरों से उत्पन्न शूद्र अछूत क्यों है, क्या यह किसी प्रकृति का परिणाम नहीं है। ऋग्वेद में दो वंशों एवं कुछ व्यवसायों का वर्णन अवश्य हैं। किन्तु जाति व्यवस्था की कतिपय विशेषतायें जैसे– खान–पान का बंधन एवं सजातीय व्यवहार इत्यादि कही पर भी उल्लेख नहीं है। उपयुक्त समय के पश्चात् ही मनु का भारतीय समाज सामने आते है। मनु की रचनाओं में जो वर्णन प्राप्त होता है उसके संबंध में समाज शास्त्रीयों के बीच मतभेद है कतिपय विद्धावानों का मत हैं कि इस समय जाति व्यवस्था अपने पूर्ण रुप से स्थापित हो चुकी थी, लेकिन अधिकांश समाज शास्त्रीय इस मत से सहमत नही हैं। सत्य है कि मनु में ब्राहाम्णों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया हैं। दूसरा वर्ग उन सदस्यों का समूह है। जो क्षत्रिय एवं वैश्यों के घर में पैदा हुयें किन्तु उन्होंने प्रचलित संस्कारों को स्वीकार नहीं किया तीसरे समूह में वे समस्त जातियें आती है जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया वाद में यही बस गयें, और भारतीय समाज के रिती रिवाजों कों अपना लिया चौथा समूह वर्ण संस्कारों का था, वह समूह चार वर्णो के व्यक्तियों के मिलने से बना था। उसी समय को मनु स्तुति में सबसे निम्न वर्ग में रखा गया हैं।

इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि जाति व्यवस्था का जो स्वरुप वर्तमान में हम देखते है वह प्राचीन भारतीय समाज में नहीं पाया जाता था। हमारे धर्म ग्रन्थों में भी जातीय व्यवस्था को प्रमाणिक उल्लेख नहीं है। 650 ए0डी0से 1200 ए0डी0 के मध्य देश छोटे–छोटे राज्यों में बट गया था। उस समय के राजपूत शासक आपसे में लड़ते रहते थे। आवागमन के साधनों का विकास नहीं हुआ था। अतः छोटे–छोटे राजबाडी में सजातीय विवाह प्रचालित हो गया और सजातीय विवाह करने वाली उप

जातियों का अस्तित्व सामने आया। इन्ही उपजातियों मे कालांतार में खान–पान के बंधन भी बढ़ते गयें। इस तथ्य के लिये अनेक प्रमाण जुटाये जा सकते है कि खान–पान एवं संजातीय विवाह के जो बंधन राजपूत काल में मजबूत हुए थे वे मुगल काल में आकर अपनी सीमा पर पहुंच गये राजाओं की आपसी लड़ाई एवं राजनीतिक बदलाव में इन बंधनों को सिथिल करन के स्थान पर और प्रगाढ किया सामान नागरिक के लिए राजनैतिक परिवर्तन का अर्थ केवल कर पर बदलने वालो का परिवर्तन ही होता है। कुछ समाजशास्त्रीयों का मानना है कि प्रचालित जाति व्यवस्था से भारतीय समाज को लाभ हुआ है इस के समर्थन में उनकी मान्यता है कि इससे जाति विशेष के सदस्यों सुरक्षा की भावना प्राप्त होती है। कारण यह है कि जाति विशेष का व्यक्ति एक बड़े जाति गत परिवार का सदस्य मान लेता है। यह भी देखा गया है कि जाति के सदस्य आवश्यकता पढ़ने पर स्वयं के जातिगत परिवार के सदस्यों की सहायता करते है। इस सिद्धांत में विपस्वास करने वाले विद्धान यह भी स्वीकार करते है कि इस प्रथा के कारण हमारे नैतिक प्रतिवंध आज भी अस्तित्व में है उदाहरण के लिए ब्राहम्ण जाति 4 के लोग प्राया 5 ब्राहम्ण होने के कारण कतिपय अनैतिक कार्य करने से बचते है बल्कि अपने जातिगत कार्य को करने में गर्व का अनुभव करते है।

इस प्रकार अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि जाति प्रथा के समर्थक इस प्रथा मे बहुत से गुण देखते है एवं इन्हें समाज के विकास उपयोगी भी मानते है किन्तु ऐसे अनेक विचारक भी है जिनके दृष्टिकोण में प्रचिलित जाति व्यवस्था ने हमारे समाज को लाभ देने के बजाये हानि अधिक दी है समाज के अनेक वर्गों में गरीबी का प्रमुख कारण प्रचलित जाति व्यवस्था है जाति बंधनों के कारण हम व्यवहार में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि नही कर सके मेरा स्वयं का मानना है कि जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि सम्पूर्ण हिन्दु समाज जाति गत आधार पर विभिन्न वर्गो में विभाजित है जाति प्रथा ने हमारे वैद्धिक विकास में बाधा पहुचाई है उदाहरण स्वरुप बेदो का अध्ययन का दायित्व ब्राहम्ण पर ही अन्य जाति के लोग कितने भी बुद्धिमान हो वेद नही पढ़ सकते है और न ही उनकी व्यख्या कर सकते है इसी कारण ऐसी अनेक प्रतिभाये जो हमारे समाज के ज्ञान के विकास में सहायक हो तो उन्हें उच्च विद्या अध्ययन से वंचित रखा गया। इसके विपरीत विदेशी संस्कृति में ऐसी कोई मान्यता नहीं रही जाति प्रथा के कारण ही समाज सुधार में बाधा उपस्थित होती रही एक ऐसा समय भी था जब कोई व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह शिक्षित होने के बाद बड़ी अवस्था मे करना चाहता था तो उसे जाति से निकाल दिया जाता था इस कारण समाज में बालविवाह का प्रचलन हुआ।

दोषः– जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह रहा कि इस के कारण राष्टीयता की भावना के विकास में बाधा उत्पन्न हुई है हिन्दु समाज सैकड़ों वर्षों तक अपने परिवार एवं अपनी जाति तक विकास

में बाधा उत्पन्न हुई है हिन्दु समाज सैकड़ों वर्षों तक अपने परिवार एवं अपनी जाति तक सीमित रहे है 19 वी शताब्दी के पूवार्ध तक ऐसे कुछ ही उदाहरण मिलते है जिन्होने सम्पूर्ण राष्ट्रीयता के दृष्टि कोण को अपनाया है मेल्स मूलर के अनुसार हिन्दू–समाज विभाजित होकर स्वयं अपना विरोध करता रहा है यदि सही रुप से देखा जाये तो हम कह सकते है जाति व्यवस्था के कारण हमारी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बाधा पड़ती है जाति गत बन्धनों के कारण ही एक व्यक्ति चाहते हुये भी स्वयं की जाति-से निम्न जाति के परिवार में खान पान के संबंध नहीं रख सकता है न ही स्वयं से निम्न जातियों में विवाह संबंध स्थापित कर सकता है अध्ययन में यह भी पता चला है कि विभिन्न जातियों बीच द्वेष भावना रहती है विशेषकर भारतीय ग्रामीण समाज मे जाति के आधार पर इस विभेदीकरण को स्पष्ट देखा जा सकता है और इसी के कारण उनका विकास अवरुद्ध होता है।

इस प्रकार हम देखते है कि इस जातिवाद में हमारे समाज का उच्चता से निम्नता में विभाजित कर उसके विकास में अवरोध उत्पन्न कर दिया हिन्दु धर्म का सिद्धान्त, सम्पूर्ण मानव जाति के कल्याण एवं विकास में विश्वास रखती है उसी का व्यवहारिक पक्ष एक असत्य एवं दूसरे को पवित्र मानती है यह हिन्दू संस्कृति में विरोधाभास है भारत में जाति व्यवस्था के सभी कारणों की वैज्ञानिक खोज करना असंभव नही है तो कठिन अवश्य है किन्तु यह कारण स्पष्ट है आपैर वह यह है कि भारत पर जितने आक्रमण विदेशियों के हुये सम्भवता इतने किसी अन्य देश पर नही हुये विदेशी आक्रमणकारियों ने अपने कापे बचाये रखवाने का प्रयास भी जाति व्यवस्था के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। हमने अपने शोध कार्य में भारतीय.समाज मे महिलाओं की समाज एवं आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है वैज्ञानिक प्राविधियों का उपयोग करते हुए हमने निश्चित समूह सदस्यों को अध्ययन के लिए चयन किया है एवं व्यक्ति साक्षात्कार के माध्यम से तथ्यपूर्ण जानकारी एकत्रित कर उसका विशलेषण करने का प्रयास किया है हमारे सोध का उद्देश्य यह जानना है कि भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या है एवं उनकी स्थिति में सुधार के लिए क्या प्रयास किए जा सकते है।

संदर्भ :–

अम्बेडकर डॉ. भीमवराव 19993 सम्पूर्ण वाड्ंगमय खण्ड–2

अवध प्रसाद 1997 गांवों में सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तन

रावत पब्लिकेशन जयपुर

आहूजा राम 1998 सामाजिक समस्याऐं रावत पब्लिकेशन जयपुर

बोगार्ड्स, ई. एस. 1936 इन्ट्रोडक्शन टू न्यूयार्क सोशल रिसर्च

दुबे, श्यामाचरण 1996 विकास का समाजशास्त्र, वाणी प्रकायान ई दिल्ली।

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

अनुसूचित जाति की महिलाओं में वैधानिक अधिकारों

डॉ. विनोद कुमार अहिरवार
समाजशास्त्र विभाग
शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, जेल रोड, विदिशा

"मानव अधिकार स्त्री अधिकार हैं" इस नाम से जारी एमनेस्टी इंटरनेशनल की 1995 की रिपोर्ट में ऐसी बेशुमार घटनाओं का दस्तावेज पेश किया गया है। ये घटनाऐं और इनके साथ ही भारतीय समाज में लौट–लौटकर आतीं शिवपति देवी, ऊषा धीमान और भँवरी देवी की कहानियाँ उस निर्मम और अनाचारी व्यवस्था को उजागर करती हैं, जो स्त्री को मनुष्य मानने से इन्कार करती हैं," संयुक्त राष्ट्र संघ का इरादा था कि सन् 2000 तक दुनिया से गैर–बराबरी का खात्मा और एक समतापरक समाज की स्थापना हो सके। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दलित वर्ग की महिलाओं की दशा बेहद चिंताजनक रही है। यदि कुछ बदला भी है तो विशेष महत्वपूर्ण रुप में नहीं। भौतिक और वैज्ञानिक विकास की चमत्कारी ऊँचाइयाँ तय कर रहे हमारे देश–समाज में अधिकांश महिलाएँ अब भी स्व–विकास के मूल मानवीय अधिकार से कोसों दूर हैं। अधिकारों की बात करें तो वह ज्यादातर राजनैतिक अधिकारों या आत्म–निर्भरता की माँगों पर ही सीमित रह जाती हैं। घरेलू मोर्चे पर देखें तो महिलाएँ प्रायः मारपीट का शिकार होती हैं। इसके अलावा बालिका भ्रूण–हत्या, सती प्रथा, दहेज, बाल–विवाह, विधवाओं से दुर्व्यव्यहार, लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की उपेक्षा, बलात् वैश्यावृत्ति और यौन–शोषण के अन्य रुप महिलाओं के जीवन को नारकीय बनाए हुए हैं। जहाँ तक इनके संवैधानिक उपायों का रास्ता है, उसमें डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक "स्टेट्स एण्ड माइनॉरिटिज" की प्रस्तावना में लिखा है– "अनुसूचित जातियों के लिए मेरी यह माँग औचित्यपूर्ण है कि इन्हें नागरिकों के मूल अधिकारों की समस्त सुविधाएँ दी जाएँ और साथ ही उनके लिए विशेष सुरक्षा उपाए किए जायें।"2 स्पष्ट है कि भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों की स्थिति बेहद दयनीय, चिंतनीय तथा संकटपूर्ण रही है।

समाजिक स्तरीकरण तथा उसका आधार

यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों की उनकी प्रतिष्ठा, सम्पत्ति और श्शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उच्च से निम्न रुप से स्वीकृत किया जाता है। वर्ग स्तरीकरण विश्व व्यापी है और उसके उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं। जैसे पूँजीपति और श्रमिक वर्ग औद्योगिकीकरण की देन हैं, धन की विभिन्न अवस्था धनी, निम्न वर्ग, सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग और निध्न वर्ग को जन्म देती है।

जसति व्यवस्था और सामाजिक स्तरीकरण

समाज कुछ इस प्रकार श्रेणी क्रम समूहों में विभक्त है कि यद्यपि विविध समूह परस्पर संबंधों में असमान समझे जाते हैं, किन्तु एक ही समूह के सदस्य समान समझे जाते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के दो प्रमुख आधार जाति और वर्ग है, लेकिन कुछ अन्य मान्य आधार आयु, लिंग, प्रजातीय तथा नृजातीय भी हैं। सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक विभेदीकरण से भिन्न है। विभेदीकरण व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह तुलना के उद्देश्य से व्यक्तियों और समूहों को एक दूसरे से अलग और स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिये वर्ग के भीतर ही आय (उच्च, मध्यम और निम्न), व्यवसाय (उच्च स्थिति वाला और निम्न स्थिति वाला), और शिक्षा (उच्च स्तर और निम्न स्तर), तुलना और विभेदीकरण का आधार प्रदान करते हैं। स्तरीकरण तब होता है जब भेद श्रेणीबद्ध क्रम में अंकित किये जाते हैं।

जाति एक इकाई (समूह) और व्यवस्था के रूप में

हमारे देश में जाति तथा वर्ग श्रेणी–बद्ध क्रम प्रयुक्त होते हैं, किन्तु जाति को, जो धार्मिक विश्वास में आबद्ध है, स्तरीकरण के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिये अति महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। जाति एक आनुवांशिक सामाजिक समूह है जो अपने सदस्यों को सामाजिक गतिशीलता की अनुमति प्रदान नहीं करती अर्थात् सामाजिक प्रस्थिति बदलने की अनुमति नहीं देती। इसमें जन्म के अनुसार प्रस्थिति अथवा श्रेणी निर्धारित होती है जो व्यक्ति के व्यवसाय, विवाह और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है।

जाति एक इकाई (समूह) और व्यवस्था दोनों ही रुप में प्रयुक्त होती है। इकाई के रुप में जाति एक बंद–क्रम प्रस्थिति समूह में होती है। आशय यह कि ऐसा समूह जिसमें सदस्यों की प्रस्थिति, उनका पेशा या व्यवसाय, जीवनसाथी के चयन का क्षेत्र तथा दूसरों के साथ अंतर्क्रिया आदि निश्चित होते हैं। व्यवस्था के रुप में जाति का अर्थ प्रतिबंधों की सामूहिकता से होता है जैसे सदस्यता परिवर्तन, व्यवसाय, विवाह और सहभोज तथा सामाजिक संबंध आदि पर प्रतिबंध। एक पूर्व धारणा यह भी है कि

कोई भी जाति पृथक नहीं रह सकती अथवा प्रत्येक जाति दूसरी जातियों से आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक तथा संस्कार संबंधों के जाल में जकड़ी हुई है।

अनुसूचित जातियाँ

'अनुसूचित जाति' पद का प्रयोग प्रथमतः साइमन कमीशन ने सन् 1927 में किया था। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो वह काल हमारे यहाँ अँग्रेजी श्शासन का था। इस काल में अनुसूचित जातियों के लिए सामान्यतः दलित वर्ग पद का प्रयोग होता था। बाह्य जातियाँ अथवा अस्पृश्य जातियाँ नाम का संबोधन भी हमें मिलता है। युग पुरुष महात्मा गाँधी ने इन्हें 'हीरजन' श्शब्द का प्रयोग किया अर्थात् जो ईश्वर की संतान हैं किन्तु सन् 1935 के संविधान ने इन्हें 'अनुसूचित जातियाँ' का नाम ही दिया। भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों हेतु निम्न प्रावधान किया हैं– "किसी भी प्रदेश या केन्द्र शासिन प्रदेश में राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति किन्हीं जातियों, प्रजातियों या जनजातियों या उनके भाग या जातियों, प्रजातियों या जनजातियों के उप–समूहों को विशिष्ट घोषित कर सकता है। और ये उस प्रदेश या केन्द्र श्शासित प्रदेश के संबंध में संविधान के संदर्भ में अनुसूचित जातियाँ मानी जायेंगी। संविधान द्वारा दिया गया यह प्रावधान अनुच्छेद –34 में दिया गया है। 3 इस प्रावधान के अंतर्गत हमारे देश के राष्ट्रपति ने समय–समय पर अध्यादेश निकालकर अनुसूचित जातियों के नामों को विशिष्टीकरण भी किया।

अनुसूचित जाति मूलतः जाति प्रथा की ही उपज है तथा ये नाम संज्ञा भारतीय गणतंत्र के विधान में प्रमाणीकृत हो गई है।

स्वतंत्रता पश्चात् महिलाओं की स्थिति

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं की सामाजिक दशा में परिवर्तन अवश्य हुए। भारतीय समाज का ताना–बाना और उसकी चेतना में बदलाव से अब परिवर्तन देखने में आ रहे हैं। परम्परागत रुढ़ियों से महिलाओं का बाहर निकलना उनकी प्रगति को दर्शाता है। सामाजिक ही नहीं वरन् राजनैतिक–आर्थिक क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं। पश्चिम का प्रभाव तथा महिलाओं की शिक्षा भी इस परिवर्तन के आधार हैं। अब महिलाओं की आत्म निर्भरता पुरुषों पर से घट रही है, इससे वे अपने व्यक्तित्व का विकास भी कर रही हैं। ये बात अवश्य है कि इसी सब से संयुक्त परिवार टूटे भी हैं, एकल परिवार बनाने में विश्वास गहरा हुआ है तथा कई बार ये एकल परिवार भी टूटकर महिला तथा पुरुष के बिखराव की कहानी बनते देखे जा सकते हैं।

दहेज–प्रथा, अतंर्जातीय विवाह, बाल विवाह जैसे सामाजिक अधिनियमों के लागू होने से महिलाओं की स्थिति पूर्ववत् नहीं रही है। सन् 1948 में स्वतंत्रता बाद सरकार ने 'हिन्दू कोड बिल'

प्रस्तुत किया, किन्तु कुछ रुढ़िवादी ताकतों द्वारा इसे टाला गया। परन्तु 1950 में नये संविधान में महिला तथा पुरुषों को समान अधिकार दिए गए। श्शनैः–शनैः परम्परागत निर्योग्यताएँ धीरे–धीरे समाप्त होने लगी, जिससे महिलाओं को विवाह विच्छेद, संपत्ति, संरक्षता आदि में पुरुषों के समान अधिकार मिले। कुछ अधिनियमों में 1955 का 'हिंदू विवाह अधिनियम' 1956 में – हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम' 1956 का हिंदू नाबालिग और संरक्षता अधिनियम', 1956 का 'हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम', 1961 का 'विशेष अधिनियम' आदि महत्वपूर्ण हैं।

महिलाओं में तेजी से शिक्षा की ओर रुझान बढ़ा है। आजादी के पूर्व शिक्षा की समुचित व्यवस्थाएँ भी न थी। स्वयं घर के बुजुर्ग तथा माता–पिता लड़कियों की शिक्षा को लेकर अनिच्छा जाहिर करते थे। श्शासन की ओर से इस क्षेत्र में व्यापक नीतियाँ बनाकर उन्हें क्रियान्वित करने से लड़कियों तथा महिलाओं की साक्षरता तेजी से बढ़ी हैं। सन् 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार साक्षर महिलाओं की संख्या बढ़कर 4 करोड़, 93 तक पहुँची। 1991 में 8.5 लाख और 1999 तक 24.27 लाख लड़कियाँ स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् थीं। कला तथा विज्ञान संकाय के साथ संगीत, शिल्पकला, गृह–विज्ञान, हस्तकला आदि में भी शिक्षित हो रही हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग शिक्षा के साथ आज वे कम्प्यूटर में भी दक्षता प्राप्त कर रही हैं। आई0ए0एस0 बनकर प्रशासनिक पदों पर काबिज हो रही हैं, अध्यापक बनकर समाज को शिक्षित कर रही हैं।

आर्थिक क्षेत्र में भी महिलाओं की स्थिति में बेहतर परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेना, पुलिस, चिकित्सा, मनोरंजन, कम्प्यूटर, बैकिंग, उद्योग, समाज कल्याण के साथ आँगनबाड़ी जैसे क्षेत्र में कार्य कर पुरुषों पर से आर्थिक निर्भरता कम करने में महिलायें सक्षम एवं समर्थ होती जा रही हैं।

आज महिलाओं की पारिवारिक प्रस्थितियों में बदलाव महसूस किया जा सकता है। उसे दासी न मानकर सहयोगी की तरह देखा जाता है। वे अंतर्जातीय विवाह भी कर रही हैं। विवाह में भी अब विल्म्ब विवाह जोर पकड़ रहा है। पहले वे अपना कैरियर बनाती हैं, फिर विवाह संस्था में सम्मिलित होती हैं।

राजनैतिक स्तर पर भी महिलाओं की दशा में काफी बदलाव आया है। सन् 1957 में विधानसभा में 105 महिलाएँ निर्वाचित हुई। 1998 में आम चुनाव के पश्चात् लोकसभा–राज्यसभा में 42 महिलाएँ थीं। इंदिरा गाँधी प्रधानमंत्री बनीं। मायावती, उमा भारती, राबड़ी देवी, जयललिता, ममता बनर्जी जैसी महिलाएँ मुख्यमंत्री का पद सुशोभित कर चुकी हैं, वहीं ग्रामीण और नगर पंचायतों, नगर निगम तथा नगर पालिका के अध्यक्ष जैसे पदों पर महिलाएँ काबिज हुई और हो रही हैं। मण्डी अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज हमारे मध्यप्रदेश की विदिशा–रायसेन संसदीय क्षेत्र

से. निर्वाचित हुई हैं।

कुल मिलाकर जहाँ पुरुषों का एक छत्र अधिकार था, महिलाओं ने उस किले को तोड़कर वहाँ अपने अधिकारों को स्थापित किया है। परन्तु एक सच ये भी है कि ये परिवर्तन जिस तेजी से शहरी क्षेत्रों में आए हैं, वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं। वहाँ अभी भी जागरुकता, शिक्षा का अभाव है। साथ ही कई सुधार होना बाकी हैं। रुढ़ियों में कई महिलाएँ अभी भी जकड़ी हैं।

अनुसूचित जाति की महिलाओं से तात्पर्य–

हमारा देश जाति प्रथा का भण्डार रहा है। जाति प्रथा एकाएक अस्तित्व में नहीं आई वरन् प्राचीन काल से ही इसके बीज पड़ चुके थे। सामाजिक संरचना के स्तरों से ये व्यवस्था शनैः–शनैः अपना आकार लेने लगी तथा समाज–कल्याण हेतु आगे उसे 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया, जो 'वर्ण' व्यवस्था कहलायी। इसी 'वर्ण व्यवस्था' की परिणति हुई कि असंख्य जातियाँ बनीं। इस देश में लगभग 3000 जातियाँ एवं उपजातियाँ निवास करती हैं।

पूर्व में भी कहा गया है कि 'अनुसूचित जाति' कोई विशेष समूह नहीं वरन् विविध समूहों को ही ये नाम दिया गया है। ये जातियाँ सर्वाधिक निचले सामाजिक सोपान पर मानी जाती हैं। अनेक प्रतिबंधों तथा घृणित समझे जाने वाले व्यवसाय इन पर थोपे गए।

मेरा प्रस्तावित शोध "अनुसूचित जाति की महिलाओं में वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता की स्थिति" का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है, जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश में विदिशा जिले के ग्यारसपुर प्रखंड के ग्रामीण अंचलों में अनुसूचित जातियों की महिलाओं में वैधानिक जागरूकता की स्थिति का विस्तृत समाजशास्त्रीय अध्ययन करना शामिल है।

जब महिलाओं की बात सामने आती है तो कहने विवश होना पड़ता है और सच्चाई भी है कि महिला शोषण कई सदियों से हो रहा है, उसे 'अबला' 'पद–दलित', 'देवी' त्याग ममता की प्रतिकृति आदि संबोधन दिए गए। सत्य और तथ्य ये है कि आधुनिक युग में विश्व में अन्य देशों की तरह ही भारत में भी आंदोलन होने लगे, उनकी व्यथा, शोषण, प्रकृति पर बहुत–बहुत लिखा, पढ़ा, समझा गया। शहर से ग्रीमण महिलाओं की स्थिति और भी खराब रही है। जितने अधिकार पुरूषों को हैं, महिलाओं को नहीं, एक ही समाज, एक ही परिवार में पुरूष तथा महिलाओं का विभाजन साफ दिखता है और इस विभाजन के पीछे धर्म, परम्परा, रीति–रिवाज, सभ्यता तथा संस्कृति का मुलम्मा हर युग में चढ़ाया जाता रहा। एक सच ये भी है कि खुद महिलाओं के ही वर्ग बहुत से हैं। शहरी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं। इनमें भी शिक्षित और अशिक्षित महिलाएं। फिर जातीय या वर्ण के आधार पर विभाजन। पुनः उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की महिलाएं।

शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के बनिस्बत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में बहुत बड़ा अंतर देखने मिलता है। इसमें अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण इनकी पुरुषों पर आत्म निर्भरता है। अनुसूचित जाति वर्ग में वैसे ही पर्दा–प्रथा का बोलवाला है, तब किसी बात को कहने का सामर्थ्य इन महिलाओं में नहीं हो पाता। किसी भी निर्णय के लेने में ये समर्थ नहीं हो पाती। घर–परिवार के निर्णयों तथा बच्चों की शिक्षा–दीक्षा जैसी बातों पर अपनी राय देने में वे सक्षम नहीं दिखती, किन्तु अब हालात बदले हैं।

अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाएँ आज भी निरक्षर हैं, उनके पिछड़ापन है कुरीतियों की शिकार है, तथा गरीबी का जीवन जीने मजबूर है। आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उच्च विकास के विविध सोपानों के बावजूद कई ग्रामीण महिलाओं को "डायन" बताकर मारा–पीटा जाता है।

ये महिलाएँ पुरुषों के अधीन रहकर जीवन जीती हैं। उनके शोषण का शिकार होती हैं। घर के काम–काज निपटा कर बाहर मजदूरी भी करती हैं।

सन् 1995 में जब मध्यप्रदेश का पहला मानव विकास प्रतिवेदन तैयार हुआ तब मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में राज्य के सरकारों राज्य की जनता की कमजोर मानव विकास परिस्थितियों को दर्शा रहे थे। मध्यप्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा था। हालाँकि 15–16 वर्षों में मानव विकास घटकों में तेजी और संकेन्द्रित प्रयत्न दिखाई दिए हैं। म0प्र0 में सन् 2001 की भारतीय जनगणना के अनुसार जनसंख्या 60,348,000 है। जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या का 9,155,177 हैं। ये राज्य की जनसंख्या का 15.20 हैं। मध्यप्रदेश में कुल 47 अनुसूचित जातियाँ हैं , जिनका 75.50 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं का जाति के रुप में अध्ययन

अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए दलित वर्ग का प्रयोग होता आया है। इन्हें बाह्य जातियाँ अथवा अस्पृश्य जाति के रुप में भी संबोधन मिलता है। महात्मा गाँधी ने इन्हें 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया था। आशय यह है कि शुद्धता के विचार हों, व्यवसायिकता की दृष्टि हो यही सब उन्हें अस्पृश्य की कसौटी पर देखते आये हैं। यह महिलायें सामाजिक और राजनैतिक निर्योग्यताओं की शिकार रही हैं जिसके अंतर्गत उच्च जातियों द्वारा परम्परात्मक इन्हें सामाजिक तौर पर अयोग्य माना जाता रहा हैं। समाज व्यवस्था में ये महिलायें अछूत मानी जाती रही हैं और इनसें उच्च जातियाँ अपनी दूरी बनाती रही है। प्रकारांतर से ये महिलायें पिछड़ेपन की शिकार होती रही हैं। इन्हें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक प्रस्थिति से ही दूर नहीं रखा गया बल्कि इनके पेशे से ही इन्हें यह अधिकार नहीं दिये गये।

ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं के वैधानिक अधिकार तथा उनकी व्याख्या

महिलाओं को भारत के संविधान तथा कानून में विविध वैधानिक अधिकांर दिए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रत्येक क्षेत्र में समस्याएँ भी थीं। सामाजिक क्षेत्र में भी कई एक समस्याएँ थीं– खासकर महिलाओं को लेकर। चीन के बाद हमारा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रहा हैं। सन् 1951 की जनसंख्या 25,68,29,485 थी। ये जनसंख्या उत्तरोत्तर औसतन 13 प्रति हजार प्रति वर्ष की दर से बढ़ती जा रही है। ए0आर0देसाई 'भारतीय ग्रामीण–समाज शास्त्र' में लिखते हैं– "भारतवर्ष में औसतन जनसंख्या का घनत्व 312 व्यक्ति प्रति मील है, यद्यपि यह प्रत्येक राज्य में बदलता गया है। भारतवर्ष में औसतन प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे 947 स्त्रियाँ हैं।" भारत देश अधिकांश में ग्रामीण है। करीब 80 प्रतिशत लोग आज भी ग्रामों में निवास करते हैं।

जाति–संस्था, जिसका उद्‌भव इस देश में कई शताब्दियों पूर्व हो चुका था, अब शनैः–शनैः आधुनिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक विकास की शक्तियों के दबाव के फलस्वरुप इसकी जीवन–शक्ति मद्धि पड़ती जा रही है फिर भी, हिन्दू जाति जो भारतीय जनता में सबसे बड़ा भाग है, के जीवन–प्रवाह को प्रभावित करने में यह संस्था अब तक अहम भूमिका निभा रही है। जाति ही है, जो बड़ी सीमा तक व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति तथा हिन्दू समुदाय के सदस्य का व्यवसाय तय करती है, जो अनेक जातियों, उपजातियों के रुप में श्रेणियों में संस्तरित है। इसी से संबद्ध इस समुदाय के सदस्यों में महिला की दशा–दिशा तथा उसकी हैंसियत भी तय होती है।

पुरुषवाद या पितृसत्तामक वृत्ति के चलते महिला को अपने ही घर में प्रायः अपने छोटे–से–छोटे अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसे में उसकी ये माँगें या अधिकार प्राप्त करने की लड़ाई कई–कई रुपों में सामने आती है–

1. अपने घर में पुरुषवाद के खिलाफ अपने अधिकारों को पाना।
2. बाहर मर्दवाद से लड़ना।
3. अपनी ही जाति में पुरातन, रुढ़ियों, ढकियानूसी परम्पराओं के खिलाफ लड़ना।
4. घर से बाहर सवर्ण, सशक्त जातियों से लड़ना।

सन् 1993 में भारत देश में 'मानवाधिकार अधिनियम' पारित किया गया जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण देश है। इसके लक्ष्य को फलीभूत करने हेतु अधिनियम की धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। आयोग में 7 सदस्य होना तय हुआ। उच्चतम न्यायालय का वर्तमान या निवृत्तमान न्यायाधीश, 30 न्यायालय का वर्तमान या निवृत्तमान मुख्य न्यायाधीश महत्वपूर्ण ये कि

इसके तीन पदेन सदस्य होंगे। जिसके अंतर्गत–

क. अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग,

ख. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग,

ग. राष्ट्रीय महिला आयोग होगा। इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के हित, संरक्षण और अधिकार समाहित है।

महिलाएँ अपने घर, परिवार समाज में पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्तर पर सशक्त बनें, इस हेतु ये प्रक्रिया जहाँ व्यक्तिगत है, वही सामूहिक भी है। यह सहभागिता पर अधिक केंद्रित है। देखने में आया है महिलाओं की शक्तिहीनता का कारण प्रमुखतः सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचना है। संविधान में (सन् 1992) –73 वाँ, 74 वाँ संशोधन एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। देश में अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के हितार्थ कई प्रगतिवादी कानून बनाए गए हैं। ऐसे कानून महिलाओं को संपूर्ण न्याय सुनिश्चत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे आत्मनिर्भर होने, सशक्त बनने की गुँजाइश तो है, परन्तु इससे भी बचना–बचाना होगा कि शासन द्वारा विविध योजनाएँ तथा गैर सहकारी संगठनों द्वारा पाए गए लाभ या कल्याण से ये वर्ग मात्र सुविधा भोगी ही बनकर न रह जाए। बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में उनका सशक्तिकरण हो सके।

केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं हेतु एक प्रगतिवादी नीति तैयार की गई है, जिसे 'राष्ट्रीय महिला नीति' कहा जाता है। इसके सफल क्रियान्वयन का संकल्प भी लिया गया है।

संदर्भ –

धुरिये जी.एस. 1973 कास्ट क्लास एण्ड आक्पशन

गांधी मोहनदास 2010 सत्य प्रयोग

जैन अरिहन 2005 मानव अधिकारों का संघर्ष

कुमार डॉ राधा 2008 स्त्री संघर्ष का इतिहास

महामना, मनु 2008 मनु–स्मृति

लुण्डवर्ग, जी.ए. 1951 सोश्शल रिसर्च

प्रसाद प्रो. कमला 2004 स्त्री मुक्ति का सपना

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

Opportunities And Challenges Of Online Retailing In India

Dr Vijay Dubey
Professor of Commerce
Dr. Bhagwat Sahai Govt. College, Gwalior

Abstract

E-retailing or online is growing at faster pace in India. It has witnessed steady growth of 50-60% over the years. E-retailing accounts for 10% of e-commerce activities in India. Even though there are growth prospects for online retail in India we have challenges which need to be addressed. The article focuses on the opportunities and challenges for online retailers in Indian business environment.

Introduction

AT Kearney's 2013- Global Retail ecommerce index stated that India has unharnessed online retail potential. The growth of online retail can add immense value to different stake holders of Indian retail sector. The growth prospects of online retail are high in India, but along with the growth opportunities there are challenges which need to be addressed.

E-retail and Major online retail players in India

E-retail or online retail is defined retailing activities done through internet. We have many online or e-retailers in India who provide a variety of merchandise to customers. In general retail business is referred as Business to Consumer (B2C). Online retail players are classified into two types category focused players and multi category focused. Category focused players provide particular merchandise with deep assortment. Ex: - Myntra, Jabbong (Apparels and Lifestyle products), Bigbasket, Local banya (Grocery segment) and Fabfurnish, Pepper

fry (Furniture), Carat lane,Juvalia and you (jewellery), First cry, my baby cart (baby products). Multi category players provide variety of merchandise with limited assortment. Ex: - Flipkart, Amazon, Future bazar and Snapdeal etc. For better understanding we look at some of the categories and the major online retailers in these categories.

Retailers provide categories like books, stationery, electronics, furniture, apparels, personal care, grocery, flowers, sports goods and services also. The major players in book category includeAmazon, Flipkart, Naaptol and Land mark. Stationery items are sold by online players like Flipkart, Amazon, Stationery shop, Snapdeal and Homeshop 18 etc. In Electronics segment we have specialised players like Croma (Tata group) and E-zone (Future group) alone with other players like Flipkart, amazon, Infibeam, Snapdeal, Future bazar, Naaptol who sell electronics items like mobile phones, computers, tablets, television and other durables. In Furniture category we have players like Fabfurnish, Pepper fry, Urban ladder, Home town, Zansaar and Homeshop18 etc. In Apparel and personal care segment we have Myntra, Jabbong, Zovi, fashion and you, Flipkart, Amazon and Yebhi.com etc. In grocery category the major players include Bigbasket, Greencart, ekstop, Local banya, Nature's basket etc. We have specialised players like Ferns n Petals, Tilia and Floraindia for flowers and birthday cakes etc. In sports goods the major category players include Decathlon, Playground online, Khelmart and Sports 365 etc. Service retailers include lenskart which provide eye tests along with eye lens, glasses and well forte for some limited medical service. Some retailers like Apollo pharmacy, Healthkart and Buydrug which do online sales of medicines.

If we look at the whole sale market (B2B) we have players like best price (Wal-Mart) who is operational in online space. In C2C (Customer to Customer) we have E-bay, Olx which serve as an on-line shopping space and for auctioning of different products.

Objectives of the Study

The major objectives of the study include:

1) To understand the online retail market in India and its impact on Indian retail.

2) To analyse the opportunities for online retailing in India

3) To study the major challenges for online retailers in India .

Scope and Methodology of the study

The study looks into the online retail market and how it had impacted the Indian retail industry. The scope of the research study is limited to online retail market, the opportunities and challenges for the evolving online retail market in India.

Source of Data: The study is primarily based on the secondary data collected from journals, industry reports, company websites, news articles and reports

Online Retail Market in India and its impact on Indian retail

Organized retail in India is still in a nascent stage with a retail penetration of 7.5% in 2013 (E&Y, 2013). Online retail forms 7.9 % of organized retail and 0.5 % of overall retail in 2013. It has witnessed steady growth of 50-60 % with a projected value of 3.2 billion USD in 2014. Online retailing has affected the sales turnover of the brick and mortar stores. With the advent of online retailers the biggest impact was the entry of traditional retail players into online space. This is evident from the trend of online store additions by traditional retail players.

If we look at the trend we can witness steady increase in the growth of online stores by traditional retail players in India. From 2010- 2012, there was decreasing trend in net store additions but we can find an increasing trend in the subsequent year. For example, Shoppers stop has entered the online space in 2008. We have other players like Future bazar, Croma (Tata group), Nature's basket (Godrej) and Aditya Birla nuvo entered the online space to compete against the online retailers.

Opportunities for Online retail in India

The current business environment in India has the potential to enhance the growth of the online retail in India. Some of the key factors that can contribute to the growth of online retail in India include

a) Increase in the number of Internet users and online buyers

According to Google, India now have around 200 million internet users which is expected to reach 500 million by 2018. Every year there is an estimated increase of 5 million internet users every month. One of the key factors contributed to the increase in internet users is the spread of broad band connectivity across the country. In 2013, the broad band connectivity

is around 15.13 million. Government is talking initiatives to increase it by 214 million broad band connections by 2014. This will enhance the accessibility of internet for common people. Forrester's Asia pacific retail forecast predicts that online buyer population will reach 39 million by 2014 and 128 million by 2018 which can stimulate the growth of online retailing in India.

b) Smart phone revolution and Mobile Internet

India is one of the markets which is witnessing growth in smart phone customers. In 2013, there were 51 million smart phone users in India which is expected to reach 104 million by 2014. But this forms about 10 per cent of the total mobile users currently. The availability of cheap smart phone can enhance the growth rate in future. Access to 3G and 2G mobile data networks and availability of cheap smart phones can enhance the customer transaction using mobiles. Most of the online retailers are developing their mobile applications to enhance the shopping experience. Amazon came up with their own 3D smart phone- "Fire phone" to enhance the mobile shopping experience of their customers. If we compare the mobile internet users we can observe increasing trend with respect to mobile internet users. According to 2015 projection, out of 300 million internet users 200 million users will be accessing internet using mobile phones which can enhance e-retailing opportunities in India.

c) Increase in transaction by Debit cards, Credit cards, Net and mobile banking

Retail electronic payments was around INR 33.8 lakh crore in 2013 compared with INR 50,000 crore in 2004. Credit card payments has grown seven times during this period and reached INR 1.2 lakh crore in 2013. In the case of Debit card transaction there was an increase in 15 times which is valued around INR 74,300 crore in 2013. If we analyse the trend electronic transaction has increased during 2013 which forms 57 % of banking transaction compared with 43% of paper transaction. There was an increase in registered internet banking users in India during 2013 which was around 35 % for public sector banks 25 % for private sector banks and 5% for foreign banks compared with 2012. But still Internet banking transaction forms 2-8% of total banking transactions for all Indian banks. Mobile banking is emerging in India which witnessed a growth with 30 million users in 2013 compared 22.51 million users in 2012. From these trends we can conclude that Indian customers are

gradually changing with respect to the way they do financial transactions. Credit, Debit cards and Net banking can facilitate quick and convenient transaction for customers which can augment the growth of e-retailing in India. With the emergence of secure transaction methods like two factor authentication, One Time Passwords(OTP) and payment gateways, consumer's preference to shop and do financial transactions online has increased. This can enhance online retailing because of enhanced security and easiness in doing the transaction. Some of the retailers are providing the facility of cash on delivery options (COD) to customers those who are sceptical about the secure transactions in online platforms. This forms more than 60% of the total ecommerce transaction in India. Banks and ecommerce sites are taking proactive steps in enhancing on-line transactions by addressing security and other issues with respect to online transactions.

d) Rising disposable Income and Rapid urbanisation.

Annual disposable income in India is expected to increase at CAGR of 5.1% and expected to be USD 3823 by 2015.According to 2011 Census, the urbanisation showed an exponential growth rate of 2.76% . We have around 337 million people who live in urban areas in 2011. The census data shows that the no of statutory towns increased at the rate of 6.37% during 2001-2011. There is steady increase of urban agglomerations at the rate of 23.7% during this period. These trends can enhance the prospects of online retailers.

Challenges for online-retailers in India

Even though India online retailing has growth prospects, there are multiple challenges for e-retailers in India market. It includesa) Logistics Effective logistics play a key role in determining the operational success of e-retailers. If we look at the India our country is large and fragmented with poor infrastructure facilities. So timely delivery and other priority services are the biggest challenges for online retailers in our country. Moreover cost of logistics in India is high due to lack of adequate infrastructure. This has forced some of the retail players like Flipkart and Amazon to build their own logistics arms. Flipkart has e-kart logistics which takes care for their delivery process. Some of the online retailers are tied up with logistics companies for fulfilling customer orders. One of the biggest problems faced by logistic companies is the limited airline feet size of logistic companies. We look at the Indian

scenario we have limited fleet of freight carriers which can hinder the priority services like same day delivery for customers.

Air fleet size comparison Courier service providers of US and India

Another important drawback is the limited technology investments and developments in Indian logistics sector. If we look at developed countries there is huge investment in technologies like GPS, RFID technology to enhance the tracking of shipment and delivery of customer orders.

a) Poor Internet speed

One of the biggest problems India facing is the slow speed internet connection which can affect the prospects of online retail in long run. The average internet speed is less than 1 mbps which makes it one of the low ranked nations in global scenario with respect to internet speed. This can affect the accessibility to shopping sites and online transactions which will in turn reduce the customer buying through online portals.

b) Customer Trust and Loyalty

Some of Indian online retailers lack trust among the customers. Even though we have trusted players like Flipkart, Myntra and Jabbong, other retailers were not up to the mark compared with other players. The entry of foreign online retailers like Amazon has forced Indian players to enhance customer loyalty. Flipkart has started an initiative called Flipkart first which provides same day delivery, priority customer services, free shipments and exclusive offers.

c) Overcoming touch and feel mental barrier of Indian customers

Indian customers prefer to touch and feel products before they purchase. The biggest challenges faced by online retailers to overcome this barrier. Online retailers are trying to overcome this barrier by adding more specifications and information about products. They also share customer feedbacks to enhance the confidence of customers.

d) COD and Returns management

Cash on delivery has emerged as the preferred mode of payment by online customers. This has created certain critical issues for online retailers. Some of the logistics providers levy extra charges from the customers which can affect the retail business in long run. Delay in

remittances of the Cash collected by logistics providers from customers can reduce the working capital for online retailers. Another important issue faced by online retailers is the customer returns and how to handle it. Some of the logistics players don't have the capacity to handle the returns. More over this can create an additional cost for the retailers which is an important issue faced by online retailers. This has forced some of the retailers to start their own logistic arm to address these issues in a better manner which can enhance customer trust and convenience. Moreover this can provide the cost advantage for online retailers in long run.

e) Complex tax regime

One of the major constraints faced by e-retailers is the complex tax regime in India. Non uniform VAT (Value added tax) are levied by different states. In some case state governments charge VAT for products sold with in a state in which warehouses are located. This has affected the cost for sourcing and delivering for products and services for online retailers. Multiple point taxation, Octroi and entry taxes are other major drawbacks in India which can affect the prospects of online retailing in India. It also forced some of the retailers to open warehouses in different states to reduce the entry and other taxes. Online retailers looking at implementation of uniform Goods and Services tax (GST) which can add operational convenience to online retailers.

f) FDI policy in B2C ecommerce

India's FDI policy restricts 100 % FDI in Multi brand retail which is applicable to e -commerce activities also. In online B2B e-commerce 100% FDI is allowed but this is not applicable to B2C e-commerce activities. Government allowed 51 % FDI in B2C e-commerce for retailers with brick and mortar operations. Currently most retailers are following a market place model in which online retailer provides a platform for potential buyer and sellers. This can result in limited margins, restricted control over product, service and speed of delivery. The restriction with respect to FDI is affecting the growth and expansion plans of online retailers.

Conclusion

Indian retail sector is witnessing dynamic changes over the years. With a steady growth rate of 50-60% online retail can make significant contribution to retail industry and economy of

our country. But to capitalise on these growth trends we need to improve our physical infrastructure, policy framework and operational environment in our country.

References :

1. AT Kearney(2013) - Global Retail ecommerce Index,AT Kearney, Inc., P1-17

2. Arora, J. (2013), Prospect of e-retailing in India, IOSR journal of computer engineering, P 1-5

3. BW (2014) - The Marketing White Book -2014-15, Business World, P63-65.

4. CRISIL (2014) - e-tail eats into retail, CRISIL research, P1-14.

5. E&Y & RAI (2014) - Pulse of Indian Retail Market, Ernst and Young LLP Publications, Retailers Association of India, P1-16.

6. E&Y (2013) - Rebirth of e-commerce in India, Ernst and Young LLP publications, P1-88.

7. E&Y, IBA (2014)- Banking on Technology, Ernst and Young LLP publications, P1-68

8. Forbes Online (2014) - Amazon India and Flipkart betting big on India's e-commerce growth- [Accessed on 23rd September, 2014].

9. Forbes Online (2014) - India's 243 million internet users and the mobile-commerce revolution- [Accessed on 23rd September, 2014].

10. RBI (2014) - Mobile Banking - Report, RBI P 1-37.

11. Tripathi, S (2013) - An overview of India's Urbanisation, Urban economic growth and urban equity, MPR Archive (Institute of social and economic change), P 1-21.

12. The Hindu (2014) - Indian e-commerce nowhere near maturity - [Accessed on 21stApril, 2014].

13. The Hindu (2014)- Indian internet users to surpass US - [Accessed on 12th August, 2014

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

BEHAVIOURAL SCIENCE OF EFFECTIVE MANAGEMENT

DR. PRINCE DAVID (DENTIST)
PUBLIC HEALTH OFFICER
NEWZLAND

"Every human being at all times creates a magnetic field of +Ve and -Ve waves around himself, Where ever he goes, these magnetic field consists of molecules , powerful and highly charges electrons . These electrons are very unpredictable in nature & structure while dealing with effective mgt. These electrons of human Behavioral science theories can be easily be understood and made into a creative mgt. sc. That can help 'A' to understand manage."

Organisms by nature have a deep-seated inclination towards being affiliated to any other object. This affiliation about a relationship that bear fruits to living.

There are many facets of management and no plant, firm, factory or mill today as the NITIE o boasts official survives without people. Where people exist in toos so many threads of relationship bring out within them n, novelties that can make or destroy a program.

NITLE fails to function without people. All sciences what ever it may be able to survive only if there is effective management based on behavioral science management based on behavioural science.

Dealing with people is tough. Dealing with tough people is tougher and its toughest to management people without touching them. I feel that basic management skills from person, to feel & touch to experience, to breathe, to smell the sweat of a person. As the science of psyche, explains to form, a touch that may be able to sense the presence of a being.

In Indian culture factors that go to form a cultural setting make another factor of behavioral science & management possible, No management can develop without consid-

ering the forms & thoughts and behavioral of an individual of an individual.

Behavioral science is the stepping - stone to effective management. Because it is the fundamental approach to answer, questions like why, that where & how. Behavioral science is what equips a manager with the arms of understanding & reasons. Behavioral science is the three that holds all branches of management together. Behavioral science helps in recognizing people as individual and individuals with emotions & intelligence.

Emotion makes management smooth. They act as lubricants to help management slide on towards progress without any mechanical loss. Management with the help of behavioral science can help to smoothen out old tangles. Management can hold better with the help of Behavioral science the two are synonous to each other. Today's world requires a clear concept of Behavioral science where people can be understood only by their vibrations. The magnetic field emits electrons from their bodies, which can be cancelled into a pathway & bought of affective use by management.

1. A1 A2 A3 or A towards .....n

B C D.....n

B1 C1 D1

B2 C2 D2

Where simple Beh. Sc. & Management.

2. A

Where ABCD are individual and

A1 B1 C1 D1.....n

2 2 2 3

Can vary with the same components of theory of zero. Thus behavioral science can form such simplifies theories of effective management.

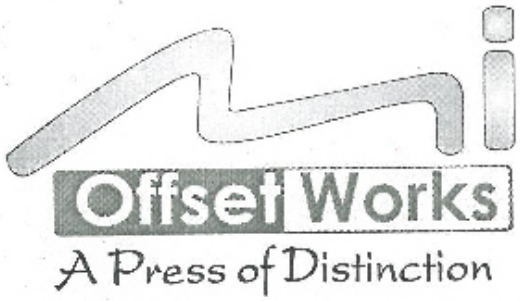

9893086017
9993673675
8085556284

Offset Works
A Press of Distinction

एम. आई. आफसेट वर्क्स

सभी प्रकार के मल्टीकलर पोस्टर, पम्पलेट,
ब्रोशर, बैनर, दैनिक/साप्ताहिक समाचार
पत्रों एवं मासिक पत्रिकाओं
की आफसेट मशीन द्वारा
छपाई उचित दामों पर की जाती है।

एक बार अवश्य पधारें

कार्यालय 105, बजाज काम्पलेक्स, चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल
प्रधान कार्यालय : 91, रशीदिया स्कूल के पास, बरखेड़ी, भोपाल
mioffset@yahoo.com, mioffset@gmail.com

TAKSHSHILA COLLEGE

SINCE 1996

Gram - Jhirniya, Post-Mugalia Hat, Parwaliya Sadak, NH-12, Bicara Road, Bhopal

Recognised by NCTE New Delhi, Govt. of Madhya Pradesh & Affiliated to Barkatullah University, Bhopal, M.P. Board of Sec. Education (M.P.)

Admission Through Online Counseling

Courses Offered

Under Graduate Programs

- **B.Com.** (Plain, Computers, Tax Procedure & Practice)
- **B.Sc.** (Mathematics, I.T., CS, Electronics, Chemistry, Physics, Zoology, Botany, Microbiology, Bio-tech)
- **B.C.A.** (Computer Application)
- **B.A.** (History, Economics, Political Science, Hindi/English Literature, Sociology)
- **B.B.A.**

Post Graduate Programs

- **M.Sc.** (Computer Science, Chemistry)
- **M.Com.** (Tax, Management)
- **M.C.M.**
- **P.G.D.C.A.**

B.Ed., D.Ed./D.El.Ed.

Facility

- Govt. Scholarship facility available.
- Bilingual Teaching Faculty (Hindi, English).
- Well Experience & Qualified staff.
- College Bus facility.
- Well Equipped Laboratory of all practical subject.
- Internet & Wi-Fi Campus.
- Huge Digital Library.
- Training & Placement Cell.
- Canteen facility.
- Personality development classes.
- Indoor and Outdoor Games facility.

College level Scholarship for Deserving Students

M.P. Online Kiosk Facility Available

Admission Helpline No. : 9893014415, 9893421526, 7771049449

तक्षशिला कॉलेज

SINCE 1996

ग्राम झिरनिया, पोस्ट-मुगालिया हाट, परवलिया सड़क, एनएच-12, ब्यावरा रोड़, भोपाल

(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली एवं म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त तथा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध)

Courses Offered

Under Graduate Programs

- **B.Com.** (Plain, Computers, Tax Procedure & Practice)
- **B.Sc.** (Mathematics, I.T., CS, Electronics, Chemistry, Physics, Zoology, Botany, Microbiology, Bio-tech)
- **B.C.A.** (Computer Application)
- **B.A.** (History, Economics, Political Science, Hindi/English Literature, Sociology)
- **B.B.A.**

Post Graduate Programs

- **M.Sc.** (Computer Science, Chemistry)
- **M.Com.** (Tax, Management)
- **M.C.M.**
- **P.G.D.C.A.**

B.Ed., D.Ed./D.El.Ed.

1995 से लगातार

विगत 19 वर्षों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित अग्रणीसंस्थान

रचना नगर भोपाल से ग्राम झिरनिया, पोस्ट-मुगालिया हाट, परवलिया सड़क, एनएच-12, ब्यावरा रोड़, भोपाल नवीन एवं विशाल भवन में स्थानांतरित

प्रवेश Online Counseling

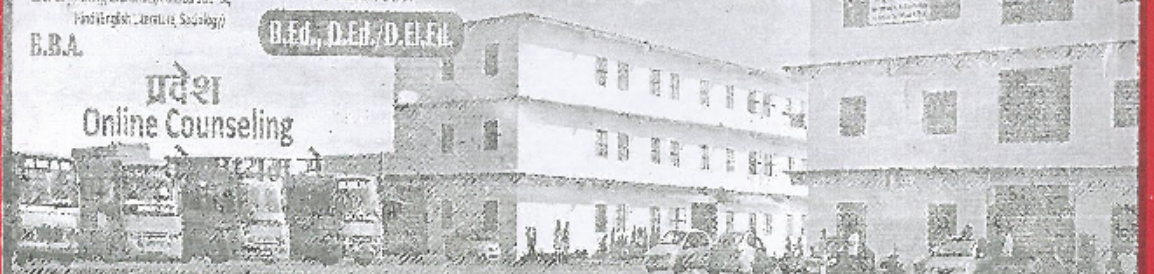

Admission Helpline No. : 9893014415, 9893421526, 7771049449